



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू ओ नोट

विषय:- झोटवाडा आर.ओ.बी. के पुर्नवास से सम्बन्धित प्रकरण में प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण एवं रिपोर्ट के सम्बन्ध में वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आर.ओ.बी झोटवाडा के प्रभावितों के पुर्नवास हेतु प्राप्त आपत्तियों का सत्यापन कर निर्णयार्थ निस्तारित किया गया है। सूची की एक प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूची का प्रकाशन जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट पर करावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

सिस्टम (एनालिस्ट)
जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त जोन-6
उपायुक्त जोन-6
जविप्रा, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/जोन-06/2021/डी-1491
दिनांक 13/08/2021

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

झोटवाडा आर.ओ.बी. के प्रभावितो को पुर्नवास के क्रम में प्राप्त आपत्तियों की सूची

क.स.	दिनांक	टीम नम्बर	सूची में अंकित क्रम संख्या	सर्वे नम्बर	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	स्वामित्व का प्रकार	आपत्ति का विवरण	स्वीकार योग्य है या नहीं (हां/नहीं)	निर्णय
1.	19.07.2021	04	82	58, 59	सत्यनारायण बढारा 9829053094	मालिक	सूची में सत्यनारायण अग्रवाल अंकित है जबकि प्रार्थी द्वारा सत्यनारायण बढारा पुत्र श्री जयनारायण बढारा अंकित करने हेतु निवेदन किया है।	हां	सत्यनारायण बढारा पुत्र जयनारायण बढारा अंकित करना है।
2.	19.07.2021	05	196	146	विकास जैन 9314273817	मालिक	सर्वे संख्या 146 पर किरायेदार का नाम अंकित है जबकि मकान मालिक का नाम पत्रावली नहीं दिये जाने के कारण अंकित नहीं किया गया है। नाम जुड़वाने बाबत नवीन पत्रावली प्रस्तुत की गई है।	हां	प्रस्तुत पत्रावली में दिये गये दस्तावेजों के आधार पर सूची में नाम अंकित किया जाना है।
3.	19.07.2021	05	221	164	श्रीमती मालती देवी पत्नी नेमीचन्द यादव 9828051751	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सूची में प्रभावित क्षेत्रफल कम अंकित किया गया है जबकि मौके पर अधिक क्षेत्रफल प्रभावित है।	हां	उक्त प्रभावित को 3 X 6 = 1 का भूखण्ड आवंटित किया गया है तथा पिछे के मकान का विवरण कुल - 44.40 वर्गमीटर प्रभावित 29.58 वर्गमीटर आवासीय भूखण्ड भी देय है।
4.	19.07.2021	03	13	12, 13, 14, 15	शशिकान्त शर्मा 7339774637	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा सर्वे क्रमांक 12, 13, 14, 15 का नाम दो जगह अंकित होना बताया गया है जिसके सम्बन्ध में आपत्तिकर्ता मौके पर भी सूची में अंकित दोनों क्रमांक पर अंकित नामों के सम्बन्ध में शिकायत को दूर किया जा चुका है।	हां नोट- क.स. 13 का नाम हटाना है।	सूची में क्रम संख्या 13 का मुआवजा क्रम संख्या 12 पर दिया जा चुका है। इसलिए क्रम संख्या 13 से हटा दिया जाये।
5.	19.07.2021	04	21	55	श्री गोपाल 9887170125	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा दिनांक 01.01.17 से पूर्व का किरायानामा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अपात्र माना गया है। वर्तमान में आपत्तिकर्ता द्वारा किराये की रसीद-2003, व्यापार मण्डल का सर्टिफिकेट-1992, 2011 एवं लेबर डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है। निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।	हां	प्रस्तुत पत्रावली में दिये गये दस्तावेजों के आधार पर पात्र मानते हुये अंकित किया जाना है।
6.	19.07.2021	05	166	130, 131, 131A	श्रीमती प्रेमलता शर्मा पत्नी श्री रघुवीर सहायक शर्मा 9602957097	मालिक	व्यावसायिक क्षेत्रफल नहीं लिया गया है।	हां	व्यावसायिक गतिविधि का क्षेत्रफल 25.42 वर्गमीटर 3 X 6 = 1 का भूखण्ड आवंटित किया जाना है तथा आवासीय भूखण्ड भी देय है।
7.	19.07.2021	05	161	126	श्री ओमप्रकाश नायक 9829134454	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा दिनांक 01.01.17 से पूर्व का किरायानामा एवं रसीद प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अपात्र माना गया है। वर्तमान में प्रार्थी द्वारा आपत्तिकर्ता द्वारा व्यापार मण्डल का सर्टिफिकेट-2011, व्यापार मण्डल की रसीद 2011, 2013 की प्रस्तुत की गई है। निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।	लम्बित	प्रकरण में मकान मालिक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर किरायेदारों को मुआवजा देने के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की है।
8.	19.07.2021	05	229	184 से 189 के पीछे के पीछे	श्री ललित प्रसाद रघुश्यान वैद्य 9829048161	मालिक	मौके पर कम क्षेत्रफल प्रभावित, जबकि विज्ञप्ति में अधिक क्षेत्रफल प्रभावित।	हां	मौका मुआयना कर तकमीना तैयार किया गया है। कुल क्षेत्रफल 210 वर्गमीटर प्रभावित क्षेत्रफल 30.58 वर्गमीटर मुआवजा राशि 4,16,641/- अंकित की जानी है।

82

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एकस्टेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ईमेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

9.	19.07.2021	05	208	151	श्री मंगल गुप्ता 9414054293	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा स्वयं की दुकान जो कि प्रथम मंजिल पर है के किरायेदार होने का दावा प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रथम मंजिल पर किरायेदार के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।	निरस्त योग्य (प्रथम मंजिल पर किरायेदार होने की वजह से अपात्र)	प्रकरण प्रथम तल पर किरायेदार द्वारा सूची में नाम अंकित करायें जाने हेतु आपत्ति दर्ज की गई है। अतः निरस्त निर्णय के अनुसार प्रथम तल पर किरायेदारों को किसी भी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होने से आपत्ति खारिज योग्य है।
10.	19.07.2021	05	75	51, 52, 53 के पीछे	श्रीमति ललिता ताम्बी पत्नी श्री मोहन लाल 8955006305	मालिक	पीछे के भाग जो कि आरओबी से प्रभावित है कि मुआवजा राशि अंकित नहीं होने के सम्बन्ध में आपत्ति दर्ज की गई है।	हाँ <i>नहीं</i> <i>JDA में</i>	आपत्ति अनुसार मुआवजा राशि का पुनः अवलोकन किया गया अवलोकन अनुसार मुआवजा राशि रुपये 4,50,305/- अंकित की जानी है।
11.	19.07.2021	05	132	112	श्री मनोज कुमार कुमावत पुत्र श्री मोहन लाल कुमावत 9982597924	मालिक	सूची में मनोज कुमार पुत्र मोहन लाल दर्ज किया गया है जबकि मनोज कुमार कुमावत पुत्र श्री मोहन लाल कुमावत नाम अंकित किये जाने एवं आपत्तिकर्ता द्वारा स्वयं की दो दुकानें प्रभावित होना बताया गया है परन्तु सूची में एक दुकान ही मुआवजा देय किया गया है। दूसरी दुकान के मुआवजे हेतु आपत्ति प्रस्तुत की गई है।	नहीं	मौके पर एक ही दुकान संचालित है तथा स्वामित्व भी एक ही व्यक्ति का है। अतः पृथक् से दुकान हेतु पात्र नहीं है।
12.	19.07.2021	05	133	111	श्री हेमन्त कुमार कुमावत पुत्र श्री मोहन लाल कुमावत 7737917470	मालिक	सूची में महेन्द्र कुमार कुमावत दर्ज हो गया है जबकि मेरा नाम हेमन्त कुमार कुमावत है। अतः श्री महेन्द्र कुमार के स्थान पर हेमन्त कुमार, कुमावत पुत्र श्री मोहन लाल कुमावत अंकित किये जाने हेतु आपत्ति प्रस्तुत की गई है।	हाँ	सूची में महेन्द्र कुमार कुमावत दर्ज हो गया है अतः दस्तावेजों के आधार पर नाम की त्रुटि को सुधारते करते हुये नाम हेमन्त कुमार कुमावत किया जाकर सूची में अंकित किया जाना है।
13.	19.07.2021	01	05	68, 69	श्री विजय 9783334222	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मेरी दुकान का हिस्सा 20 प्रतिशत से अधिक आरओबी से प्रभावित है परन्तु सूची में 20 प्रतिशत से कम प्रभावित होने के कारण अपात्र माने जाने के कारण आपत्ति प्रस्तुत की गई है।	हाँ	आपत्ति अनुसार पुनः अवलोकन किया गया है जिसके आधार पर निर्माण का कुल क्षेत्रफल - 49.38 वर्गमीटर प्रभावित क्षेत्रफल - 19.40 वर्गमीटर अतः 3 X 4.5 = 1 का व्यावसायिक भूखण्ड दिया जाना है।
14.	19.07.2021	05	87, 88	60A, 60B, 60C	श्री विकास कपूर, चन्द्रकान्ता कपूर 9660718630	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मेरी दुकान का अधिक हिस्सा आरओबी से प्रभावित है परन्तु सूची में कम प्रभावित है। अतः पुनः क्षेत्रफल गणना हेतु आपत्ति प्रस्तुत की गई है।	हाँ	आपत्ति अनुसार पुनः अवलोकन किया गया है जिसके आधार पर क्रम संख्या 87 पर अंकित सर्वे क्रमांक 60-ए का क्षेत्रफल क्रमसंख्या 88 पर मकान मालिक में अंकित करना है तथा सर्वे क्रमांक 60-ए का क्षेत्रफल 2.30 X 3.5 = 8.05 वर्गमी. है। अतः 3 X 4.5 = 1 व्यावसायिक भूखण्ड देय है। तथा एक आवासीय भूखण्ड भी देय है।
15.	19.07.2021	04	73, 92	67 to 69	श्री महेश कुमार जांगिड 9414985449	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे नम्बर 70, 71 पर राशि दर्शायी गई है, परन्तु सर्वे नम्बर 70 की राशि 67 से 69 पर दर्शा दी गई है। इसे दुरुस्त कर स्ट्रेक्टर मुआवजे की राशि 70, 71 पर ही दर्शाये।	हाँ	आपत्ति अनुसार पुनः अवलोकन किया गया है जिसके आधार पर सर्वे नम्बर 67 से 69 मौका जांच की गई जिसमें सर्वे 67 क्षेत्रफल = 15.34, सर्वे 68 = 15.96, सर्वे 69 = 15.68 कुल क्षेत्रफल 46.98 वर्गमीटर कुल मुआवजा राशि 300337.65/- देय है।
16.	19.07.2021	05	201	149	श्रीमति कमला देवी पत्नी स्व. श्री मदनलाल 9414034095	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे सूची में मुझे 3 X 3 की दुकान मुआवजा स्वरूप दी जा रही है परन्तु मौके पर मेरी दुकान 12 X 25 क्षेत्रफल की दुकान प्रभावित है। अतः मुझे 10 X 20 की दुकान दी जावे।	हाँ	आपत्ति अनुसार पुनः अवलोकन किया गया है जिसके आधार पर व्यावसायिक भूखण्ड 3X3=1 तथा आवासीय भूखण्ड दिया जाना है।

Handwritten signature

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय} फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

Handwritten signature

Handwritten signature



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

17.	19.07.2021	04	48	14	श्री मोहन लाल हनुमान सहाय पुत्रान चन्दलाल 8824155551	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि हमारी दुकान 12.3 x 25 फीट की है परन्तु गणना अनुसार 9 x 25 की की गई है। अतः आपत्तिकर्ता द्वारा 3 x 6 मीटर की दुकान एवं उसी अनुसार राशि गणना के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत की गई है। अतः क्षेत्रफल की गणना पुनः की जानी है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पुनः मौका निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार कुल व्यवसायिक क्षेत्रफल 28.31 वर्गमीटर प्रया गया है। जिसके अनुसार 3 x 6 = 1 का व्यावसायिक भूखण्ड दिया जाना है।
18.	19.07.2021	05	149	117	श्रीमति प्रेमदेवी पत्नी श्री दानालाल 9782145979	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मेरे पति का नाम सूची में भूलवश स्व. श्री दानाराम अंकित हो गया है जबकि दस्तावेजों के अनुसार नाम स्व. श्री दानालाल हैं	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा बताये अनुसार दस्तावेजों की पुनः जांच की गई जिसके अनुसार प्रार्थी का नाम श्रीमती प्रेम देवी पत्नि श्री दानालाल जागिड संशोधित कर अंकित किया जाना है।
19.	19.07.2021	04	120	85	श्री रामस्वरूप शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा 9252817930	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि पूर्व में मेरे द्वारा किरायानामा एवं बैंक स्टेटमेंट भूलवश रह गया था तभी मैं उक्त दुकान में काफी समय से किरायेदार हूँ। आपत्तिकर्ता द्वारा वर्ष 2010, 10.02.2013 का किरायानामा व वर्ष 2013 व 2014 का बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत किया है। पात्र/अपात्र हेतु निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किरायानामा एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर पात्र माना जाकर अंकित किया जाना है।
20.	19.07.2021	04	14	46, 47	श्री हरिश चन्द शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा 9928281288	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मेरी दो दुकानों के बदले मुझे एक दुकान 3 x 6 मुआवजा स्वरूप दी जा रही है। अतः मेरे क्षेत्रफल की गणना पुनः कर मुझे नियमानुसार दो दुकान दिये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति दर्ज की गई है।	नहीं	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के अनुसार पुनः क्षेत्रफल की जांच की गई जिसके अनुसार पूर्व में दिये गये मुआवजा स्वरूप व्यवसायिक भूखण्ड 3 x 6 = 1 दिया जाना सही है। कोई परिवर्तन नहीं है।
21.	19.07.2021	04	97	69, 70	श्री रमेश चन्द गुप्ता 8078628668		आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे क्रमांक 69, 70 की दो दुकानें हैं जिनका क्षेत्रफल 69 का क्षेत्रफल 15.96 मीटर तथा 70 का क्षेत्रफल 15.40 मीटर कुल क्षेत्रफल 31.33 मीटर है जबकि मुझे 3 x 3 की एक ही दुकान दी जा रही है अतः मुझे दो दुकानों की एवज में एक दुकान ही ना देकर दो दुकान देने हेतु आपत्ति दर्ज करवायी गई है।	नहीं	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के अनुसार पुनः क्षेत्रफल की जांच की गई जिसके अनुसार पूर्व में दिये गये मुआवजा स्वरूप व्यवसायिक भूखण्ड 3 x 3 = 1 दिया जाना सही है। कोई परिवर्तन नहीं है।
22.	19.07.2021	01	47	23 से 26	श्री भगवान दास 9057284052	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मैंने तीन बार फाईल जमा करवायी है परन्तु सूची में मेरा नाम किरायेदार के रूप में आना रह गया है जिसके सम्बन्ध में पुनः नवीन पत्रावली जोन में जमा करवायी जाकर सूची में नाम अंकित करवाये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति दर्ज की गई है।	लम्बित	प्रस्तुत आपत्ति के अनुसार आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज 1. नारायण दास उर्फ भगवान दास पुत्र श्री खुशीराम का शपथ पत्र है। किरायानामा है वाणिज्यिक रजिस्ट्रेशन 1995 का है। नोट:- शपथ पत्र देने के लिये नोटिस जारी किया जाना है।
23.	19.07.2021	04	47	15	श्री बालचन्द पुत्र श्री महादेव लाल शर्मा	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि दुकान संख्या 15 का क्षेत्रफल 27.36 मीटर लिया गया है जबकि बराबर वाली दुकान संख्या 134 का क्षेत्रफल 19.36 मीटर व 16 का क्षेत्रफल 21.28 मीटर लिया गया है जबकि हमारी आसपास की दुकानों का क्षेत्रफल हमारे बराबर ही प्रभावित हो रहा है। अतः क्षेत्रफल की गणना पुनः किये जाने हेतु आपत्ति प्रस्तुत की गई है।	नहीं	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के अनुसार पुनः क्षेत्रफल की जांच की गई जिसके अनुसार पूर्व में दिये गये मुआवजा स्वरूप व्यवसायिक भूखण्ड 3 x 6 = 1 दिया जाना सही है। कोई परिवर्तन नहीं है।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

24.	20.07.2021	02	01	02	श्री दीनदयाल शर्मा पुत्र श्री चाँदमल शर्मा मो.नं.9982601300	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे सं. 02 में आयुर्वेद की दुकान संचालित है जिसका नाम सूची में शामिल नहीं किया गया है अतः सूची में नाम संलग्न करवाने हेतु पत्रावली प्रस्तुत कर आपत्ति प्रस्तुत की गई है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा पुनः क्षेत्रफल की जाँच की गई प्रार्थी का मौक़े पर $2.2 \times 4.6 = 10.12$ वर्ग मी. क्षेत्रफल आर.ओ.बी. से प्रभावित है। उक्त हेतु मुआवजा स्वरूप $3 \times 3 = 1$ दिया जाना है तथा सूची में सर्वे संख्या 2-ए पर अंकित किया जाना है।
25.	20.07.2021	05	01	02	श्री रामदयाल शर्मा	मालिक	आपत्तिकर्ता (मालिक द्वारा) बताया गया है कि महेन्द्र मेडिकल स्टोर (किरायेदार) द्वारा मेडिकल स्टोर संचालित नहीं की जाती है तथा किरायेदार द्वारा पूर्व का किरायानामा प्रस्तुत किया गया है जिसका वर्तमान में रिन्यू नहीं किया गया है। अतः किरायेदार का नाम पात्र परिवारों की सूची में से नाम हटवाने का निवेदन किया गया है।	लम्बित	आपत्तिकर्ता (मालिक) द्वारा आपत्ति दर्ज कराई है। कि किरायेदार को मुआवजा नहीं देना जो किरायानामा प्रस्तुत किया गया है। वह पुराना है। नोट:- किरायेदार को नोटिस जारी किया जाना है।
26.	20.07.2021	05	13	08 (दक्षिण दिशा)	श्री रामस्वरूप पारीक पुत्र श्री रामगोपाल पारीक-9166655128	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे सूची में सभी पुजारियों का नाम जोड़ा गया है परन्तु मेरा नाम नहीं जोड़ा गया है अतः मेरा नाम जुड़वाये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत की गई है।	लम्बित	प्रकरण मंदिर में मुआवजे से सम्बन्धित है अतः उच्च स्तर से निर्णय लिया जाना है।
27.	20.07.2021	02	17	1C	राजकुमारी शर्मा पत्नि स्व. श्री सुनील कुमार शर्मा -6378456649	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि पूर्व में दस्तावेजों की पूर्ति ना करने के कारण अपात्र माना गया था। पात्र मानने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।	हाँ	प्रार्थी द्वारा दस्तावेजों में बटवारानामा प्रस्तुत किया गया है। अतः बटवारानामा के आधार पर पात्र मानते हुये अंकित किया जाना है।
28.	20.07.2021	02	43	15	सुरेन्द्र शर्मा-9772044444	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि पूर्व में किरायानामा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अपात्र माना गया था आपत्तिकर्ता द्वारा किरायानामा (वर्ष 2006-07) प्रस्तुत किया गया है।	लम्बित	प्रार्थी किरायेदार है। तथा प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में पंजीकृत रजिस्ट्रेशन है लेकिन किरायेनामे पर स्वयं के हस्ताक्षर है। मालिक के नहीं है। प्रकरण में मालिक द्वारा दुकान खाली करवाने का वाद विचाराधीन है।
29.	20.07.2021	02	32	04	प्रमोदयाल शर्मा पुत्र श्री चाँदमल शर्मा	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे क्रमांक 04 पर किरायेदार को पात्र माना गया है जबकि किरायेदार के सम्बन्ध में प्रकरण न्यायालय में प्रक्रियाधीन है जिसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत कर रहा हूँ अतः क्र.सं. 04 पर अंकित किरायेदार को वर्तमान में मुआवजा स्वरूप दुकान नहीं देने के सम्बन्ध में आपत्ति दर्ज की गई है।	लम्बित	प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। अतः न्यायालय में चल रहे वाद की वर्तमान स्थिति हेतु नोटिस जारी किया जाना है।
30.	20.07.2021	05	159	124 to 128	राहुल कुमार शर्मा पुत्र स्व.श्री अशोक कुमार शर्मा	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा आपत्ति में लिखा गया है कि मौक़े पर चार दकाने हैं तथा दो ही मुआवजा स्वरूप दी जा रही है। आपत्तिकर्ता द्वारा अन्य दो दुकानों का मुआवजा भी दिया जाने हेतु लिखा गया है तथा राहुल कुमार एवं राजकुमार पुत्र अशोक कुमार का भी नाम दर्ज करवाने की आपत्ति दर्ज की गई है। इसके अलावा किरायेदारों लक्ष्मण कुमावत पुत्र बिरदीचन्द कुमावत एवं ओमप्रकाश नायक पुत्र बालूराम को दुकाने आवंटित नहीं करने के सम्बन्ध में आपत्ति दर्ज की गई है।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रकरण न्यायालय में लम्बित है जिसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है। अतः नोटिस जारी किया जाना है। तथा न्यायालय में चल रहे वाद का निर्णय आपत्तिकर्ता के पक्ष में होने पर 124 से 128 में निर्मित दुकानों का कुल क्षेत्रफल 55.45 वर्ग मी. आर. ओ.बी. द्वारा प्रभावित है जिसके अनुसार $3 \times 3 = 1$, $3 \times 6 = 1$ व्यावसायिक भूखण्ड सूची में अंकित किया गया है जोकि सही है। अतः प्रकरण निस्तारित योग्य है।

36

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फ़ैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

37

38



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

31.	20.07.2021	05	6	3, 3A & 3B	श्याम दयाल शर्मा पुत्र स्व श्री वांदमल शर्मा	मालिक	सर्वे लिस्ट में आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि याम के स्थान श्याम किया जाकर संशोधन किये जाने सम्बन्धी आपति दर्ज की गई है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नाम संशोधित करते हुये याम के स्थान श्याम किया जाना है।
32.	20.07.2021	05	40	29	राहुल टेलर पुत्र श्याम लाल टेलर	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा आपत्ति में बताया गया है कि मेरे एवं मेरी पड़ोसी की दुकान का माप बराबर है परन्तु मेरे पड़ोसी को अधिक क्षेत्रफल की दुकान एवं अधिक मुआवजा राशि दी जा रही है अतः अधिक क्षेत्रफल एवं मुआवजा की आपति दर्ज की गई है।	हाँ	1. आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर क्षेत्रफल की जांच की गई जिसके अनुसार प्रथम मंजिल पर निर्माण का क्षेत्रफल 2.5 X 8.8 = 22.00 वर्ग मी. है। जिसके अनुसार मुआवजा राशि रुपये 84129/- (प्रथम तल) 131304/- भू-तल कुल राशि 215433/- अंकित की जानी है। 2. दुकान का क्षेत्रफल गणना करने पर सही पाया गया है।
33.	20.07.2021	02	1	3 & 4	प्रमुदयाल शर्मा पुत्र श्री श्याम दयाल शर्मा-9352229113	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे क्रमांक 3 व 4 पर नाम अंकित नहीं हो पाया है अतः नाम अंकित कर मुआवजा राशि दिलाये जाने हेतु आपति दर्ज की गई है।	लम्बित	उक्त दुकानों का मुआवजा क्रम संख्या 5 पर अंकित कर दिया गया है। तथा क्रम संख्या 1 पर सर्वे नम्बर में अंकित 3 व 4 को हटाया जाना है तथा स्ट्रक्चर मुआवजे में अंकित सर्वे नम्बर 2 का मुआवजा सूची में पृथक रूप से डलवाया जाना है।
34.	20.07.2021	05	78	52 53 & 54	गजानन्द अग्रवाल पुत्र श्री मैरुलाल अग्रवाल-9784007585	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि 1. सर्वे सूची में मालिक के स्थान पर किरायेदार अंकित हो गया है। 2. आरओबी से पूर्ण क्षेत्रफल प्रभावित है परन्तु सूची में कम क्षेत्रफल दर्शाया गया है क्षेत्रफल गणना पुनः की जानी है। 3. मुआवजा राशि की गणना भी पुनः की जानी है। आपत्तिकर्ता द्वारा दस्तावेज पुनः प्रस्तुत कर आपति दर्ज की गई है।	हाँ	1. सूची में किरायेदार के स्थान पर मालिक किया जाना है। 2. क्षेत्रफल की गणना सही है, आवासीय भूखण्ड के भी पात्र है। 3. राशि रुपये 52=55981/-53=55010/-54=312484/-
35.	20.07.2021	02	19	17	रूप चन्द मेघवानी पुत्र श्री जीवतराम मेघवानी	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मेरा नाम किरायेदार के रूप में सर्वे सूची में आने से रह गया है नाम जुड़वाये जाने हेतु आपति प्रस्तुत की गई है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में 2016 का किरायानामा प्रस्तुत किया गया है। जिसके आधार पर पात्र मानते हुये सूची में अंकित किया जाना है।
36.	20.07.2021	4	9	79	इशाक मोहम्मद-9667285527	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सूची के अन्दर किरायेदार के स्थान पर मालिक का नाम अंकित हो गया है अतः मालिक के नाम की जगह किरायेदार का नाम इशाक मोहम्मद अंकित किया जाना है।	हाँ	प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में किरायानामा 2013 का प्रस्तुत किया गया है। जिसमें मोहम्मद इशाक पुत्र श्री रहीम बक्श (किरायेदार एवं मोहम्मद ईलयास पुत्र मोहम्मद हुसैन खान) है। क्रम संख्या 09 पर किरायेदार मोहम्मद इशाक का नाम अंकित किया जाना है।
37.	20.07.2021	5	212	154	सुरेश कुमावत पुत्र श्री किशोर कुमार कुमावत-8005919687	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे सूची अन्दर सुरेश कुमावत पुत्र श्री रखली लाल कुमावत के स्थान पर सुरेश कुमार कुमावत पुत्र श्री किशोर कुमार कुमावत किया जाना है तथा श्री बैग हाउस संशोधित किया जाना है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रस्तुत किरायानामे के आधार पर पात्र मानते हुये अंकित किया जाना है तथा सर्वे सूची में दुकान का नाम श्री बैग हाउस संशोधित किया जाना है।
38.	20.07.2021	1	16	54	शंकर लाल कुमावत पुत्र श्री गोपाल लाल कुमावत	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे सूची में किरायानामा एवं किराये की रसीद नहीं होने के कारण अपात्र माना गया है वर्तमान में किराया नामा एवं किराये की रसीद प्रस्तुत की गई है।	हाँ	प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में वाणिज्यिक कर संस्थान सर्टिफिकेट 2002, किराया रसीद 1988, तथा मालिक द्वारा किरायेदार के पक्ष में शपथ पत्र के आधार पर पात्र मानते हुये सूची में अंकित

38

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

38

38

38



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

39.	20.07.2021	1	15	55	शिवदयाल कुमावत पुत्र श्री सत्यनारायण कुमावत-9829645692	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे सूची में किरायानामा एवं किराये की रसीद नहीं होने के कारण अपात्र माना गया है वर्तमान में आपत्तिकर्ता द्वारा वाणिज्यिक संस्थान नोटिस की प्रति प्रस्तुत की जाकर आपत्ति प्रस्तुत की गई है।	हाँ	किया जाना है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में पिता के नाम का वाणिज्यिक कर संस्थान सर्टिफिकेट 2002, तथा मालिक द्वारा किरायेदार के पक्ष में शपथ पत्र के आधार पर पात्र मानते हुये सूची में अंकित किया जाना है।
40.	20.07.2021	05	267	232 & 235 के पीछे	बाबूलाल शर्मा, रजनीशशर्मा, मनीष शर्मा -9314214433	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि हमारी हवेली का नाप पूरा नहीं लिया गया है। हमारी इस समय चार दुकानें हैं जिसमें किरायेदारों के सम्बन्ध में कोर्ट केस चल रहा है अतः किरायेदारों को मुआवजा देना सम्भव नहीं है। सर्वे सूची में नन्दवाना सेवा समिति को पात्र माना गया है जबकि पात्र आपत्तिकर्ता को माना जाना था। हमारे उक्त सम्बन्ध में अगले फेज में मुआवजा देने जाने के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत की गई है।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है तथा भविष्य में न्यायालय में चल रहे बाद के निर्णय प्रार्थी के पक्ष में आने पर क्षेत्रफल की गणना निम्नानुसार मान्य होगी। आगे स्थित दुकानों का क्षेत्रफल 41.81 व. मी. है जो कि आर.ओ.बी. से प्रभावित है। जिसके अनुसार $3 \times 6 = 1$ का व्यावसायिक भूखण्ड अंकित किया जा चुका है। मकान का क्षेत्रफल 86.18 व.मी. भी प्रभावित है। जिसके अनुसार आवासीय भूखण्ड भी देय है। 231 से 235 के पीछे दो मकान हैं 1. बाबूलाल रेवा शंकर बोहरा राशि 726896/- आवासीय भूखण्ड देय है जिसे अंकित किया जाना है। 2. विष्णु कान्ता आशा देवी बोहरा राशि 509773/- आवासीय भूखण्ड देय जिसे अंकित किया जाना है। 3. सर्वे नम्बर 232 पर दुकान का क्षेत्रफल 12.09 वर्गमीटर है।
41.	20.07.2021	04	19	53	विजय सिंह -9024920858	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मालिक का नाम सर्वे सूची में अंकित हो गया है परन्तु किरायेदार का नाम अंकित होने से रह गया है अतः किरायेदार द्वारा दस्तावेज के रूप में वाणिज्यिक संस्थान का प्रमाण पत्र एवं किराये की रसीद प्रस्तुत की जाकर किरायेदार के रूप में पात्र मानते हुये सर्वे सूची में नाम अंकित किये जाने हेतु आपत्ति प्रस्तुत की गई है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में किराये की रसीद 1994, 2003 व बिजली का बिल मालिक के नाम पर के आधार पर पात्र मानते हुये अंकित किया जाना है।
42.	20.07.2021	01	9	61	शान्ति देवी पत्नि स्व. श्री छोट्टन लाल-9314297317	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे सूची में तीन दुकानें नम्बर 61, 62, 63 का मालिक एक ही है। परन्तु सर्वे में सिर्फ 61 नम्बर का लिया गया है दुकान नं. 62, 63 के क्षेत्रफल में सम्मिलित किया जावे।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर जांच की गई सर्वे संख्या $61+62+63 = 40.84$ Sqm, $3 \times 6 = 1$ व्यावसायिक भूखण्ड देय है। स्ट्रक्चर मुआवजा राशि रु. 2,75,484/- $(61+62+63+ मकान)$ अंकित किया जाना है।
43.	20.07.2021	01	26	46	कानाराम पुत्र श्री छिगनाराम	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मेरे द्वारा समस्त दस्तावेज प्राधिकरण में जमा करवा दिये गये हैं आपत्ति में बताया गया है पिता जी का नाम छिगनाराम के स्थान पर धनाराम दर्शाया गया है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर जांच की गई जिसके आधार पर नाम सशोधित करते हुये छिगनाराम के स्थान पर धनाराम अंकित किया जाना है।
44.	20.07.2021	05	130	106	अशोक वासवानी पुत्र श्री खेमचन्द	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मालिक के नाम में	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

					वासवानी-		उपनाम वासवानी के स्थान पर वासवानी अंकित किया गया है जिसे संशोधित करवाने का श्रम करावे।		जांच की गई जिसके आधार पर नाम संशोधित करते हुये वासवानी के स्थान पर वासवानी अंकित किया जाना है।
45.	20.07.2021	05	130	106	अशोक वासवानी पुत्र श्री खेमचन्द वासवानी-	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मालिक के नाम में उपनाम वासवानी के स्थान पर वासवानी अंकित किया गया है जिसे संशोधित करवाने का श्रम करावे।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार जांच की गई जिसके आधार पर नाम संशोधित करते हुये वासवानी के स्थान पर वासवानी अंकित किया जाना है।
46.	20.07.2021	05	136	106	अशोक वासवानी पुत्र श्री खेमचन्द वासवानी-	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे सूची में किरायेदार को पात्र माना गया है जबकि किरायेदार उक्त सर्वे में है ही नहीं। अतः किरायेदार का सर्वे सूची में नाम हटवाये जाने की आपति प्राप्त हुई है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर जांच की गई जिसके आधार पर किरायेदार का नाम हटाया जाना है। क्योंकि किरायेदार द्वारा पूर्व में दुकान खाली की जा चुकी है।
47.	20.07.2021	05	137	107	अशोक वासवानी पुत्र श्री खेमचन्द वासवानी-	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे सूची में किरायेदार को पात्र माना गया है जबकि किरायेदार उक्त सर्वे में है ही नहीं। अतः किरायेदार का सर्वे सूची में नाम हटवाये जाने की आपति प्राप्त हुई है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर जांच की गई जिसके आधार पर किरायेदार का नाम हटाया जाना है। क्योंकि किरायेदार द्वारा पूर्व में दुकान खाली की जा चुकी है।
48.	20.07.2021	05	53	41	सतीश कुमार कसेरा	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे सूची में मकान मालिक का नाम तो अंकित हो गया है परन्तु किरायेदार का नाम अंकित नहीं हो पाया है। अतः किरायेदार का नाम अंकित दर्ज करवाने हेतु दस्तावेजों सहित आपति दर्ज की गई है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में किराये की रसीद व व्यापार मण्डल का सर्टिफिकेट के आधार पर नाम अंकित किया जाना है।
49.	20.07.2021	01	29	42to 44	यतीश कुमार गुप्ता-	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे सूची में ओमप्रकाश कुमावत पुत्र श्री नाथूलाल कुमार कुमावत का नाम अंकित है परन्तु ओमप्रकाश कुमावत द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.05.2018 द्वारा यतीश कुमार गुप्ता को बेचान किया जा चुका है। सर्वे सूची में ओमप्रकाश कुमावत की जगह यतीश कुमार गुप्ता के नाम दर्ज करने हेतु आपति की गई है।	हाँ	2018 का विक्रय पत्र है पुराने मालिक का नाम हटाना है।
50.	20.07.2021	05	269	200	रामप्रसाद वैद्य पुत्र श्री जगन्नाथ वैद्य - 9351748003		आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे सूची के अन्दर देय मुआवजा राशि एवं मुआवजा स्वरूप दुकान का निर्धारण तो कर दिया गया है परन्तु स्वामित्व के सम्बन्ध में लिखे जाने के सम्बन्ध में आवेदन किया गया है।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में निगम का गृह कर रसीद, बिजली का बिल, रजिस्टर्ड हकतयाग (भाई द्वारा) मृत्यु प्रमाण पत्र का प्रस्तुत किया है। जिसके आधार पर पात्र मानते हुये अंकित किया जाना है।

36

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

51.	20.07.2021	01	18,19,20,24,25	48A, 48A, 48A, 49, 48	जयदेव कुमार पुत्र श्री मूलचन्द घोडेला-9929744727	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोर्ट केस ना होना बताया गया है तथा स्ट्रक्चर मुआवजा राशि अंकित किये जाने की आपति दर्ज की गई है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई जिसके अनुसार निम्नलिखित रूप से मुआवजा अंकित किया जाना है। 48 = वासुदेव कुमावत पुत्र श्री मूलचन्द (3 X 3 = 1) मुआवजा राशि 58402/- 49 = जयदेव कुमावत (3 X 3 = 1) मुआवजा राशि 60227/- तथा क्रम संख्या 18, 19, 20 पर सर्वे नम्बर 48-ए, 48-ए, 48-ए का नाम एक साथ किया जाकर मालिक के नाम में भूदेव कुमार, बलदेव सामोदिया, सहदेव कुमावत (आवासीय भूखण्ड देय है कुल मुआवजा राशि रु. 763200/- अंकित किया जाना है।
52.	20.07.2021	05	83	55 to 57 पीछे	अंजू खण्डेलवाल पत्नि श्री रमेश खण्डेलवाल	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे सूची में क्षेत्रफल के सम्बन्ध में जविप्रा पट्टा होने के कारण मुआवजा (भूमि का) उसी तरह किया जाकर भूखण्ड के बदले भूखण्ड दिया जाना चाहिए आपति की गई है।	लम्बित	प्रकरण जविप्रा पट्टे से सम्बन्धित है। अतः निर्णय लिया जाना है।
53.	20.07.2021	04	12	46	चन्द्रशेखर कपूर चन्द अग्रवाल पुत्र श्री कपूरचन्द अग्रवाल	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि किरायानामा प्रस्तुत कर दुकान की मुआवजा राशि दिलवाने हेतु आपति दर्ज की गई है।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग का 01.08.2017 का पंजीकृत सर्टिफिकेट 01.08.2017 से 2018 का किरायानामा प्रस्तुत किया गया है अन्य वैध दस्तावेज मंगवाये जाने हैं।
54.	20.07.2021	05	48	35	सविन मालपानी	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे सूची में किरायेदार का नाम अंकित नहीं किया गया है।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई जिसके अनुसार भू-तल पर स्थिति कमरो किरायानामा आवासीय रूप में प्रस्तुत किया गया है। दुकान का प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः प्रकरण निरस्त योग्य है।
55.	20.07.2021	05	80	56	राजेन्द्र कट्टा पुत्र स्व श्री चौथमल कट्टा-9829160544	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे सूची मकान मालिक को किरायेदार दर्ज किया गया है। मकान मालिक दर्ज किया जावे आपति दर्ज की गई है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई जिसके अनुसार किरायेदार के स्थान पर मालिक किया जाना है।
56.	20.07.2021	05	79	55	रमेश चन्द कट्टा पुत्र स्व श्री हनुमान सहाय कट्टा-9829010255	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे सूची मकान मालिक को किरायेदार दर्ज किया गया है। मकान मालिक दर्ज किया जावे आपति दर्ज की गई है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई जिसके अनुसार किरायेदार के स्थान पर मालिक किया जाना है।
57.	20.07.2021	05	44	32	किशन चन्द गौकलानी	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि किरायानामा प्रस्तुत कर दुकान की मुआवजा राशि दिलवाने हेतु आपति दर्ज की गई है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई जिसके अनुसार आपत्तिकर्ता द्वारा 2013 का किरायानामा प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार नाम अंकित किया जाना है।
58.	20.07.2021	05	140	108	शुभम् पारीक	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि किरायेदार जो कि पूर्व में दर्ज है उसका नाम हटाकर नये किरायेदार की पत्रावली प्रस्तुत कर रहे हैं।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई जिसके अनुसार पिता द्वारा पुत्र को ही किरायेदार बनाया गया है। जिसमें सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाना है।

36

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}; फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

[Handwritten signatures and initials]



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

59.	20.07.2021	05	141	107	अशोक दासदानी पुत्र श्री खेमचन्द दासदानी- 9314373811	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे सूची के अनुसार दुबारा सर्वे करवाकर क्षेत्रफल सही किया जावे कि आपति प्रस्तुत की गई है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः क्षेत्रफल की जांच की गई जिसके अनुसार मौके पर पुनः नाप-गणना की गयी जो कि पूर्वानुसार ही पायी गयी है।
60.	20.07.2021	05	84, 85	58	सुनीत कुमार पुत्र श्री दत्त कुमार -8290055275	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मौके पर रिक्त भूमि का मालिक होने के कारण मुआवजा राशि दिलवाने हेतु आपति दर्ज की गई है।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई जिसके अनुसार मौके पर रिक्त भूखण्ड का नाप कर लिया गया है चूंकि भूखण्ड रिक्त है जिसमें संक्षम स्तर से निर्णय लिया जाना है।
61.	20.07.2021	05	213	149 to 155	राजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री चौधमल कट्टा-9829160544		आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि स्ट्रक्चर साइट पर मौजूद है नाप करवाकर मुआवजा अंकित किया जाने की आपति दर्ज की गई है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई मौके पर कुल क्षेत्रफल 216 वर्गमीटर प्रभावित क्षेत्रफल 81 वर्गमीटर है। जो कि 35 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल आर.ओ.बी प्रभावित होने के पश्चात शेष बचता है। अतः आवरसी भूखण्ड देय नहीं है। मुआवजा राशि 126159/- ही अंकित की जानी है। पूर्व में जारी सूची में त्रुटि का सुधार किया जाना है।
62.	20.07.2021	05	155	121	राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र लल्लू लाल शर्मा	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि पूर्व में पत्रावली पुत्र के नाम लगा दी गई थी अतः पिता के नाम की पत्रावली लगाकर प्रकरण प्रस्तुत कर आपति दर्ज की गई है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई दस्तावेजों में जमाबन्दी 933/1 लल्लूराम के नाम से है जिसके आधार पर लल्लूराम (पिता) के नाम पर सर्वे सूची में नाम अंकित किया जाना है।
63.	20.07.2021	04	98	71	राकेशराज कुमावत	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि किरायेदार होने से सम्बन्धित कागज प्रस्तुत किये गये हैं।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई वाणिज्यिक कर संस्थान सर्टिफिकेट 2001 का प्रस्तुत किया गया है अतः दस्तावेजों के आधार पर नाम अंकित किया जाना है।
64.	20.07.2021	04	93	72	छोटू सिंह-9610003021	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि आवेदक द्वारा किरायानामा नहीं होने के कारण अपात्र नहीं माना जावे किराये का ब्योरा, बिजली का बिल, रसीदे इत्यादि के आधार पर मुआवजा राशि दिलवाने की आपति दर्ज की गई है।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई प्रस्तुत दस्तावेजों में मालिक के नाम पर बिजली का बिल, व्यापार मण्डल की रसीदे जो कि छोटू सिंह के नाम से है प्रस्तुत की गई है। अतः नोटिस जारी किया जाना है।
65.	20.07.2021	04	111	91	श्याम लाल शर्मा पुत्र श्री लादूराम शर्मा	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि आवेदक द्वारा किरायानामा नहीं होने के कारण अपात्र नहीं माना जावे किराये का ब्योरा, बिजली का बिल, रसीदे इत्यादि के आधार पर मुआवजा राशि दिलवाने की आपति दर्ज की गई है।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई प्रस्तुत दस्तावेज किरायानामा 2016 में कांट-छांट है जिसके संबंध में नोटिस दिया जाना है।
66.	20.07.2021	04	79	62 & 63	गुलाब चन्द यादव	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि आवेदक प्रकाश चन्द यादव के स्थान गुलाबचन्द यादव पुत्र शिवचन्द का नाम दर्ज होना बताया गया है।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई अतः दस्तावेजों में विक्रय पत्र में 50 वर्गगज स्वयं के द्वारा रखी गई तथा शेष प्रकाशचन्द को विक्रय कर दी प्रकाश द्वारा भी उक्त भूमि का बेवान कर दिया गया। अतः 50 वर्गगज का माग कौनसा है स्पष्ट नहीं है अतः

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-+91-141-सम्बंधित कार्यालय : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय} फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

									नोटिस दिया जाना है।
67.	20.07.2021	05	142	113	मोहम्मद शाकिर पुत्र श्री अब्दुल रशीद	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि किरायानामा प्रस्तुत कर दुकान की मुआवजा राशि दिलवाने हेतु आपति दर्ज की गई है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई अतः दस्तावेजों में 2013 का किरायानामा प्रस्तुत किया गया है। जिसके आधार पर पात्र मानते हुये अंकित किया जाना है।
68.	20.07.2021	05	145	114	जावेद पुत्र श्री नूरुद्दीन-9799585664	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि किरायानामा प्रस्तुत कर दुकान की मुआवजा राशि दिलवाने हेतु आपति दर्ज की गई है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई अतः दस्तावेजों में 2013 का किरायानामा प्रस्तुत किया गया है। जिसके आधार पर पात्र मानते हुये अंकित किया जाना है।
69.	20.07.2021	04	26	42	रमेश खण्डेलवाल उर्फ रामजी लाल खण्डेलवाल-9649126807	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा किरायानामा प्रस्तुत कर दुकान की मुआवजा राशि दिलवाने हेतु आपति दर्ज की गई है।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई दस्तावेजों में किरायानामा जो कि नोटरीज नहीं है। प्रस्तुत किया गया है तथा उक्त हेतु निर्णय लिया जाना है तथा सर्व क्रमांक 42 पर अंकित प्रकाश शर्मा का नाम हटाया जाना है।
70.	20.07.2021	04	25	44	दामोदार प्रसाद पुत्र स्व. श्री धीसालाल-9649126807	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा किरायानामा प्रस्तुत कर दुकान की मुआवजा राशि दिलवाने हेतु आपति दर्ज की गई है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई दस्तावेजों के रूप में 2007 का किरायानामा रामकृष्ण आयुर्वेदिक ट्रस्ट के नाम पर दिया गया है। जो कि स्वीकार योग्य है। पात्र मानते हुये नाम अंकित किया जाना है।
71.	20.07.2021	04	29	37	रमेश खण्डेलवाल उर्फ रामजी लाल खण्डेलवाल-9649126807	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा किरायानामा प्रस्तुत कर दुकान की मुआवजा राशि दिलवाने हेतु आपति दर्ज की गई है।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई दस्तावेजों के आधार पर आपत्तिकर्ता द्वारा बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया है। जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि स्टेटमेंट में अंकित राशि किराये की ही है।
72.	20.07.2021	05	4	2F	ओमप्रकाश वैद्य पुत्र श्री छीतरमल	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा किरायानामा प्रस्तुत कर दुकान की मुआवजा राशि दिलवाने हेतु आपति दर्ज की गई है।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई प्रस्तुत किरायानामा अस्पष्ट पिता छीतरमल के नाम से है जिसके संबंध में नोटिस दिया जाना है।
73.	20.07.2021	05	245	197,198,199	गोपाल लाल वैद्य पुत्र स्व. श्री छीतरमल	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा दुकान की मुआवजा राशि दिलवाने हेतु आपति दर्ज की गई है।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई जांच के आधार पर श्री गोपाल लाल को पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया जाना है।
74.	20.07.2021	05	105	77	गायत्री देवी पत्नि श्री ओमप्रकाश सुलानियां	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं कोर्ट स्टे है।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण कोर्ट केस में लम्बित है अतः नोटिस जारी कर न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की स्थिति प्राप्त की जानी है।
75.	20.07.2021	05	60, 61	48 & 49	विमला देवी	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी द्वारा मौके पर 2 दुकानों की एक दुकानकर रखी है किन्तु कागज अलग-2 है	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई जहां दो दुकानों को एक दुकान

36

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय); फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

36

36



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

						अतः अलग-2 समझकर मुआवजा तय किये जाने हेतु आपति दर्ज की गई है।		बनाकर व्यवसाय किया जा रहा है। नितिगत निर्णयानुसार दोनों दुकानों के प्रभावित क्षेत्रफल को जोड़कर मुआवजा दिया गया है। जो सही है। प्रार्थी का दुकानों के पीछे मकान भी है जो जेडीए पट्टा है वह भी आंशिक प्रभावित है।	
76.	20.07.2021	02	50	29	रमेश चन्द गुप्ता	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि आवेदक द्वारा किरायानामा नहीं होने के कारण अपात्र नहीं माना जावे किराये का ब्योरा, बिजली का बिल, रसीदे इत्यादि के आधार पर मुआवजा राशि दिलवाने की आपति दर्ज की गई है।	हाँ <i>लम्बित</i>	आपत्तिकर्ता से मालिक से संबंधित शपथ पत्र प्राप्त किया जाना है। अतः उक्त प्रकरण में नोटिस जारी किया जाना है।
77.	20.07.21	05	158	123	बनवारी लाल जांगिड पुत्र स्व.श्री घासीलाल	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि आवेदक द्वारा किरायानामा प्रस्तुत कर मुआवजा राशि दिलवाने की आपति दर्ज की गई है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई प्रस्तुत दस्तावेजों में 2015 का किरायानामा प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर पात्र मानते हुये अंकित किया जाना है।
78.	20.07.2021	05	162	128	सुभाष चन्द जांगिड पुत्र स्व.श्री घासीलाल	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि आवेदक द्वारा किरायानामा एवं रसीद नहीं होने के कारण मुआवजा राशि दिलवाने की आपति दर्ज की गई है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई दस्तावेजों में शॉप का रजिस्ट्रेशन 1992/2002 को है जिसके आधार पर पात्र मानते हुये नाम अंकित किया जाना है।
79.	20.07.2021	01	36	36	कानाराम कुम्हार पुत्र श्री रामपाल-9413984697	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि कोर्ट स्टे होना बताया गया है आपति दर्ज की गई है।	हाँ <i>लम्बित</i>	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन के संबंध में नोटिस जारी किया जाना है एवं शपथ पत्र लिया जाना प्रस्तावित है।
80.	20.07.2021	05	194	142,143,144	अशोक कुमार गुप्ता-9024453682	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मेरे उक्त मकान की मुआवजा राशि काफी कम बताई गई है तथा सर्वे सूची में उक्त मकान का हवाला भी नहीं दिया गया है आपति दर्ज की गई है।	लम्बित	कनिष्ठ अभियन्ता के स्तर जांच लम्बित है।
81.	20.07.2021	04	91	73	शोभित शर्मा-9413576782	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि आवेदक शोभित के स्थान पर शोभित शर्मा नाम दर्ज होना बताया गया है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराये लीजडीड में शोभित शर्मा नाम है सूची में नाम संशोधित कर अंकित जाना है।
82.	20.07.2021	05	83	55	अन्जू खण्डेलवाल पत्नि श्री रमेश खण्डेलवाल-9829296384	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे के समय 2018 में मकान बनाने का समय गलत दर्ज हो गया है इसलिए जो मेरा मकान का हिस्सा प्रभावित हो रहा है वो 2015-16 में बनाया गया था मकान समय की गणना 2015-16 से ही की जावे।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई प्रार्थी द्वारा जे.डी.ए पट्टा से संबंधित है। नितिगत निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।
83.	20.07.2021	05	80	56	राजेन्द्र कट्टा पुत्र स्व श्री चौथमल कट्टा-9829160544	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि दुकान की बैसमेन्ट सहित 4 मंजिल की दो मंजिलों का निर्माण वर्ष 2013-14 में करवाया गया था कि आपति दर्ज की गई है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई मौका जांच कर संशोधित तकमीना तैयार किया गया है जिसके अनुसार मुआवजा राशि 376852/- रुपये अंकित की जानी है।
84.	20.07.2021	04	48	14	रवि कुमार शर्मा-8824155551	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि पूर्व में फाईल जमा नहीं होने के कारण पूर्ण दस्तावेज जमा करवाई जा रही है आपति	नहीं	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई आपति प्रथम तल किरायेदार

36

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

36

36



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

85.	20.07.2021	04	47	15	मनोज शर्मा पुत्र बालचन्द	किरायेदार	दर्ज की गई है। आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि आवेदक द्वारा किरायानामा लगाकर दुकान दिलवाने की आपति दर्ज की गई है।	लम्बित	की है अतः नितीगत निर्णय अनुसार अपात्र है। आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई प्रस्तुत दस्तावेजों में 2016 का किरायानामा है दुकान नम्बर 13 मोदी मार्केट में मालिक बालचन्द शर्मा है लेकिन बेटे ने गोपाल लाल टैलर पुत्र श्री महादेव लाल का किरायानामा दिया है।
86.	20.07.2021	05	11	3AF	उत्तम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री गणेश नारायण शर्मा व प्रकाश चन्द शर्मा, गिर्राज प्रसाद शर्मा, सुरेन्द्र शर्मा पुत्र स्व.श्री शंकर लाल शर्मा	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि दुकान नं. 7,8,9 के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। जिसमें पुत्रों का हिस्सा दर्शाया गया है आपति प्रस्तुत की गई है।	लम्बित	
87.	20.07.2021	05	149	117	प्रेम देवी पत्नी स्व. सी दाना लाल-9782145979	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी का नाम सही अंकित करने हेतु आपति प्रस्तुत की गई है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रेम देवी पत्नी स्व. श्री दानालाल नाम संशोधित कर अंकित किया जाना है।
88.	20.07.2021	04	64	13	शिवदयाल मावा पनीर भण्डार	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि आवेदक द्वारा किरायानामा लगाकर मुआवजा दिलवाने की आपति दर्ज की गई है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई प्रस्तुत दस्तावेजों में 2016 का अपंजीकृत किरायानामा प्रस्तुत किया गया है।
89.	20.07.2021	05	173	173 to 177	डा. उर्मिला गुप्ता -9314940754	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि पांच दुकानों का दुबारा सर्वे किया जावे आपति दर्ज की गई है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई सामने बनी दुकानों का सर्वे किया गया जिसका कुल क्षेत्रफल 77.84 वर्गमीटर है। जिसके अनुसार $3 \times 4.5 = 1$ and $3 \times 6 = 1$ व्यावसायिक भूखण्ड दिया जाना है तथा पीछे के मकान का कुल क्षेत्रफल 704.16 वर्गमीटर है। जिसमें से प्रभावित क्षेत्रफल 171.70 वर्गमीटर है। आवासीय भूखण्ड देय नहीं है।
90.	20.07.2021	-	New file	-	हीरालाल सालोदिया पुत्र स्व. श्री गोपीराम सालोदिया-7737327216	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि नई पत्रावली लगाई गयी है। आपति दर्ज की गई है।	लम्बित(नोटिस)	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई आपत्तिकर्ता के पिता के गोपीराम के नाम बिजली तथा पानी का बिल है मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया है। पारिवारिक सजरा प्रस्तुत करने के लिये नोटिस दिया जाना है।
91.	20.07.2021	02	12	57	हीरालाल सालोदिया पुत्र स्व. श्री गोपीराम सालोदिया-7737327216	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रथम मंजिल का मुआवजा दिया जावे कि आपति दर्ज की गई है।	लम्बित	प्रथम मंजिल पर बने हुये निर्माण का मुआवजा सूची के अन्दर अंकित कर दिया गया है।
92.	20.07.2021	02	08	48 & 49	आशा देवी पत्नी श्री बाबूलाल	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी द्वारा लिंक दस्तावेज मूल पत्रावली में संलग्न कर पुनः जांच करवाने की आपति दर्ज की गई है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई अपंजीकृत बेचान 2003/04 का है।
93.	20.07.2021	04	11	80 & 81	संजय कुमावत उर्फ वैद्य संजय जलाधरा कुमावत पुत्र स्व. श्री बन्नीप्रसाद	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे सूची में कमसं.11 में 80 व 81 में लगाये गये अपात्रता को हटाकर मुआवजा दिलवाने हेतु आपति दर्ज की गई है।	लम्बित	मालिक द्वारा 50/- रुपये स्टाम्प पर किरायेदार की सहमति के लिये शपथ पत्र है।

36

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

36

Oneh
Dye



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

94.	20.07.2021	05	99	70	रुकमणी पत्नि श्री त्रिलोक चन्द सुलानियाँ	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि दो मालिक हैं परन्तु मौके पर एक ही दुकान है दोनों दुकानों को अलग-2 मानकर मुआवजा दिलवाने हेतु आपति दर्ज की गई है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई मौके पर एक ही दुकान संवालि है। अतः सूची में अंकित मुआवजा सही है।
95.	20.07.2021	02	-	9 & 10	उत्तम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री स्व. श्री गणेश नारायण शर्मा	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि लिस्ट में नाम नहीं है सर्वे करवाकर मुआवजा निर्धारित करने हेतु आपति दर्ज की गई है।	लम्बित	दस्तावेजों के आधार पर स्वामित्व सिद्ध होने की स्थिति में मुआवजा राशि रु. 84930+86611 कुल 171541/- तथा प्रभावित क्षेत्रफल 16.00 वर्ग मी. है जिसके अनुसार $3 \times 4.5 = 1$ व्यावसायिक मूखण्ड दिया जाना है।
96.	20.07.2021	02	-	12,13,14,15	कैलाश प्रसाद शर्मा		आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि लिस्ट में नाम नहीं है सर्वे करवाकर मुआवजा निर्धारित करने हेतु आपति दर्ज की गई है।	हाँ	सर्वे लिस्ट में मालिक का सर्वे संख्या 12, 13, 14, 15 पर जोड़ा जाये जिसका आर.ओ.बी से प्रभावित क्षेत्रफल 68.04 वर्गमीटर है। अतः $3 \times 3 = 1$, $3 \times 6 = 1$ देय है तथा मुआवजा राशि 553861/- अंकित की जानी है। उत्तम प्रकाश पुत्र गणेश नारायण के बटवारानामा वाला प्रकरण है।
97.	20.07.2021	03	20	22 & 23	राजेश सैन	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है पूर्व में कोई पत्रावली नहीं लगाई गई जो वर्तमान में प्रस्तुत कर मुआवजा निर्धारित करने हेतु आपति दर्ज की गई है।	लम्बित (नोटिस)	पिता के नाम की किराये की रसीदे है। मौके पर है। पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र है पारिवारीक सजरे के लिये नोटिस देना है।
98.	20.07.2021	05	17,28	7A,7B,7C,7D,7E	आशा पारीक	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है प्रार्थीगण को सर्वे अनुसार दुकान का आवंटन किया जाने हेतु आपति दर्ज की गई है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई प्रार्थी द्वारा परिवार बड़ा होने के कारण $3 \times 6 = 1$ के स्थान पर $3 \times 3 = 2$ दुकाने देने के लिये निवेदन किया गया है। स्वीकार योग्य है।
99.	20.07.2021	05	220	161 to 163	अशोक कुमार गुर्जर-9829015595	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है सर्वे नम्बर 161 से 163 के दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं तीन निर्मित दुकानों एवं पीछे खाली भूमि का मुआवजा निर्धारित करने हेतु आपति दर्ज की गई है।	लम्बित	दुकानों के अंकित मुआवजे के अतिरिक्त रिक्त मूखण्ड है। निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।
100.	20.07.2021	04	28	37	रमेश खण्डेलवाल उर्फ रामजी लाल खण्डेलवाल-9649126807	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा किरायानामा प्रस्तुत कर दुकान की मुआवजा राशि दिलवाने हेतु आपति दर्ज की गई है।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई दस्तावेजों के आधार पर आपत्तिकर्ता द्वारा बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया है। जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि स्टेटमेंट में अंकित राशि किराये की ही है।
101.	20.07.2021	05	191	141	मेसर्स विकास वर्ल्थ स्टोर प्रो. आशीष अग्रवाल	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा किरायानामा प्रस्तुत कर दुकान की मुआवजा राशि दिलवाने हेतु आपति दर्ज की गई है।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई जिसके अनुसार प्राप्त दस्तावेजों में जुलाई 2017 का किरायानामा है। वयासार मण्डल की रसीद 2010-2011 की है। परन्तु निधि अग्रवाल द्वारा पति को किरायेदार बनाया गया है जिसके संबंध में सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाना है।
102.	20.07.2021	02	12	57	नरेन्द्र अग्रवाल-9314504853	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा पिता एवं माता का नमा मृत्यु प्रमाण एवं हकत्याग पत्र प्रस्तुत किया जो अकेले नरेन्द्र कुमार के नाम है कि आपति दर्ज की गई है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई आपत्तिकर्ता द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है अतः मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर पात्र मानते हुये नाम अंकित किया

38

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय); फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

38

38



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

103.	20.07.2021	05	228	183	अशोक कुमार-98289015595	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे नं.183 में अंकित तीन मंजिल भवन व 6 दुकाने निर्मित हैं के मुआवजे व दुकानों के सम्बन्ध आपति दर्ज की गई है।	हाँ	जाना है। आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई जिसमें मौका जांच की गई एरिया सही पाया गया है। मौके पर कोई दुकान नहीं है। भवन व बची हुई रिक्त भूमि है। मुआवजा 240572+32392= 272964/- अंकित किया जाना है।
104.	22-07-2021	05	175	178, 179, 180 व पीछे	श्री भरत सिंह पुत्र श्री रामलाल 9829598090		आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि उनका मकान पूरी तरह प्रभावित हो रहा है किन्तु सूची में नहीं दर्शाया गया है तथा प्रार्थी के मकान का प्रभावित क्षेत्रफल कम दर्शाया गया है। एक दुकान का क्षेत्रफल कम दर्शाया गया है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई जिसके अनुसार 178 से 180 की दुकानों का मुआवजा पूर्व में अंकित किया जा चुका है तथा शेष आवासीय भाग का कुल क्षेत्रफल 84.16 व.मी. तथा प्रभावित क्षेत्रफल 70.59 व.मी. अतः एक आवासीय भूखण्ड भी दिया जाना है।
105.	22.07.2021	05	226	182	श्री वीरबहादुर पुत्र श्री रामलाल, श्रीरामलाल पुत्र श्री जयकिशन 8764006758	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मेरे भूखण्ड का पूरा क्षेत्रफल प्रभावित हो रहा है, किन्तु प्रभावित क्षेत्रफल सही नहीं दर्शाया गया है। सर्वे सूची के अनुसार सभी हितधारी जिनकी जमीन प्रभावित है उनको लाईजेबल फोर हाउस अंकित किया गया है जबकि प्रार्थी के सन्दर्भ में ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई मौके पर भूमि रिक्त है। अतः रिक्त भूमि के लिये नितिगत निर्णय लिया जाना है। कुल क्षेत्रफल 128.51 वर्गमीटर प्रभावित 114.93 वर्गमीटर है। अतः खाली भूखण्ड हेतु सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाना है।
106.	22.07.2021	05	225	182	श्रीमति सीमा सिंह 9079029406	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि दुकान के रूप में मुआवजा मय नहीं किया गया है।	लम्बित	मौके पर विद्यालय संचालित है जोकि आर.ओ.बी. द्वारा प्रभावित नहीं है।
107.	22.07.2021	05	224	181	श्री सावरमल पुत्र श्री रामलाल एवं श्रीरामलाल पुत्र श्री जयकिशन 9314876019	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मेरे भूखण्ड का पूरा क्षेत्रफल प्रभावित हो रहा है, किन्तु प्रभावित क्षेत्रफल सही नहीं दर्शाया गया है। सर्वे सूची के अनुसार सभी हितधारी जिनकी जमीन प्रभावित है उनको लाईजेबल फोर हाउस अंकित किया गया है जबकि प्रार्थी के सन्दर्भ में ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः क्षेत्रफल की जांच की गई कुल क्षेत्रफल = 153.35 Sqm प्रभावित क्षेत्रफल 119.95 व.मी. शेष क्षेत्रफल 33.50 व.मी. अतः एक आवासीय भूखण्ड दिया जाना है। मुआवजा राशि 24340/- अंकित की जानी है।
108.	22.07.2021	05	103	75	श्रीमती श्रवणी देवी पत्नी श्री मदनलाल 9799177634	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी को किराये के सम्बन्ध में मामला कोर्ट में लम्बित होने के कारण दुकान आवंटन से अपात्र घोषित किया गया है, जबकि मुकदमे में किसी तरह का कोई स्टे नहीं किया गया है। उक्त मुकदमा लादूराम सुलानिया एवं प्रार्थी के बीच किराया बढ़ाने व खाली कराने बाबत चल रहा है तथा लादूराम सुलानिया के वारिसान ने प्रार्थी को दुकान आवंटन न करा पाने के उद्देश्य से जेडीए को गलत सूचना प्रेषित कर गुमराह किया है।	लम्बित	प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से नोटिस दिया जाना है।
109.	22.07.2021	03	17	19	श्री मदनलाल शर्मा पुत्र श्री कल्याणमल शर्मा, 9828230967	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि वर्ष 2017 से पूर्व का किरायानामा नहीं होने के कारण स्वामित्व सिद्ध होना नहीं बताया गया है। साथ ही वर्ष 1984 व 1985 की किराये की रसीद एवं दुकान की फोटो प्रस्तुत कर पुनः जांच करने हेतु निवेदन किया है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपति के आधार पर पुनः जांच की गई किराये की रसीद है सन् 1984-85 की है तथा मालिका शपथ पत्र मालिक द्वारा प्रस्तुत किया गया है सन् 1984 से प्रार्थी किरायेदार है। जिसके आधार पर प्रकरण स्वीकार

38

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

38

38



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

110.	22.07.2021	04	77	64	श्री उमराव सिंह पुत्र श्री नारायण लाल यादव 9828560857	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे नम्बर 64 में मालिक का नाम प्रकाश चन्द यादव दर्ज किया गया है जबकि 9/12/2005 इकरारनामे के जरिये उक्त दुकान प्रार्थी श्री उमराव सिंह पुत्र श्री नारायण लाल यादव द्वारा खरीद ली थी। अतः प्रकाश चन्द यादव के स्थान पर प्रार्थी का नाम दर्ज करने हेतु निवेदन किया है।	लम्बित	योग्य है। आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई प्रार्थी को साईट प्लान प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जाना है।
111.	22.07.2021	04	86	65	श्री राजपाल सिंह यादव पुत्र श्री नारायण लाल यादव 9351749926	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे नम्बर 65 में मालिक का नाम श्री उमराव, राजपाल, भवर लाल दर्ज किया गया है जबकि 9/12/2005 इकरारनामे के जरिये उक्त दुकान प्रार्थी श्री राजपाल सिंह यादव द्वारा खरीद ली थी। अतः उमराव, राजपाल, भवर लाल के स्थान पर प्रार्थी का नाम दर्ज करने हेतु निवेदन किया है।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई प्रार्थी को साईट प्लान प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जाना है।
112.	22.07.2021	04	74	66	श्री भवर लाल यादव पुत्र श्री नारायण लाल यादव 9314613800	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे नम्बर 66 में मालिक का नाम प्रकाश चन्द यादव दर्ज किया गया है जबकि 9/12/2005 इकरारनामे के जरिये उक्त दुकान प्रार्थी श्री भवर लाल यादव पुत्र श्री नारायण लाल यादव द्वारा खरीद ली थी। अतः प्रकाश चन्द यादव के स्थान पर प्रार्थी का नाम दर्ज करने हेतु निवेदन किया है।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई प्रार्थी को साईट प्लान प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जाना है।
113.	22.07.2021	05	13	08	श्री प्रभुदयाल, जगदीश प्रसाद पारीक, रामस्वरूप पारीक	पुजारी मन्दिर श्री सीतारामजी महाराज	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि पुजारीगण को श्री सवाई माधोसिंह जी महाराज जयपुर दरबार द्वारा पूजा करने व सार सम्भाल करने बाबत हम पुजारियों को अधिकृत किया गया है जिसका न्यायालय द्वारा 05/09/1958 को प्रार्थीगण का स्वामित्व माना गया है जबकि जदिप्रा द्वारा प्रार्थीगण को कब्जाधारी माना गया है। प्रार्थी मन्दिर श्री सीतारामजी के पुजारी को अन्य स्थान पर जगह देकर मन्दिर बनवाया जावे अन्यथा उक्त मन्दिर को इसी जगह रखा जावे।	लम्बित	मंदिर की भूमि है।
114.	22.07.2021	04	64	13	श्री फूलचन्द बोहरा पुत्र स्व. श्री घासीलाल 9462777742 9351265182	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मेरी पुख्ता निर्मित दुकान के क्षेत्रफल व निर्माण के मुआवजे की गणना सही कर किरायेदार को दर्शाया गया देय मुआवजा मुझ दुकान मालिक के हक में ही गणना कर मुआवजा स्वरूप देय दुकान एवं राशि निर्धारित कर जारी करे।	हाँ	संशोधित तकनीनी तैयार किया गया है। प्रार्थी का प्रथम तल भी बना हुआ है। मुआवजा राशि 319817/- भी अंकित की जानी है। प्रार्थी को 3X3=1 तथा एक आवासीय भूखण्ड देय है। मुआवजे की सूची में 13 के पीछे हटाना है।
115.	22.07.2021	05	52	40	श्री प्रदीप सिंह रत्रा पुत्र स्व. श्री सरदार अमर सिंह रत्रा 9928351100	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे सूची में मेरे पिताजी का नाम पूरा नहीं लिखा गया है। पूरा नाम श्री प्रदीप सिंह पुत्र स्व. श्री सरदार अमर सिंह रत्रा है एवं सम्पत्ति के विवरण खाली छोड़ रखा है जबकि मेरी फर्म का नाम सरदार बर्फ डिपो है। यह नाम सम्पत्ति के कालम में लिखा जावे।	हाँ	सरदार बर्फ डिपो फर्म का नाम अंकित करना है। एवं पिता का पूरा नाम स्व. श्री सरदार अमर सिंह रत्रा अंकित करना है।
116.	22.07.2021	05	51	39	श्री राजेन्द्र सिंह रत्रा पुत्र स्व. श्री सरदार अमर सिंह रत्रा 9414313237	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे सूची में मेरे पिताजी का नाम गलत लिखा गया है। पूरा नाम श्री राजेन्द्र सिंह रत्रा पुत्र स्व. श्री सरदार अमर सिंह रत्रा है। अतः लिस्ट में मेरे	हाँ	पिता का नाम शुद्ध करना है। प्रकरण स्वीकार योग्य है।

36

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय): ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}; फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

36

Sneh



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

							पिताजी का उपरोक्त नाम दर्ज किया जावे।		
117.	22.07.2021	05	213	149 to 155 के पीछे	श्री राजेन्द्र कटटा पुत्र श्री चौथमल कटटा	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मेरा मकान सर्वे नम्बर 149 से 155 के पीछे निर्मित आवासीय मकान की एवज में ना तो दुकान दी गई ना ही मकान की जगह मिल पायी है। मेरी भूमि 81 व.मी. आरओबी में जा रही है। हमारे दो भाईयो का हिस्सा होने के कारण मेरा पूरा मकान ही प्रभावित हो रहा है। अतः मेरी समस्या का समाधान किया जावे।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई मौके पर कुल क्षेत्रफल 216 वर्गमीटर प्रभावित क्षेत्रफल 81 वर्गमीटर है। जो कि 35 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल आर.ओ.बी प्रभावित होने के पश्चात शेष बचता है। अतः आवासीय भूखण्ड देय नहीं है। मुआवजा राशि 126159/- ही अंकित की जानी है। पूर्व में जारी सूची में ऋटि का सुधार किया जाना है।
118.	22.07.2021	05	42	30	श्रीमती रूपवती पत्नी श्री कवर सिंह	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है किमेरी दुकान प्रभावितो की सूची में शामिल है, जिसमें क.स. 42 सर्वे नम्बर 30 रूपकवर परिधान के नाम से एलएचएस टीम-5 जोन में दर्ज है। प्रार्थिया का किरायानामा 01/03/17 से पूर्व का होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। इस सम्बन्ध में आपत्ति के साथ साक्ष्य के रूप में 15/01/2016 का किरायानामा प्रस्तुत किया गया है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई प्रस्तुत दस्तावेजों में 2016 का किरायानामा है अतः किरायेनामे के आधार पर पात्र मानते हुये अंकित किया जाना है।
119.	22.07.2021	02	21	25, 26	श्री दिलीप कुमार टांक पुत्र स्व. श्री कवर सिंह 8233505633	मालिक (1/2 हि.)	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि उक्त सम्पत्ति प्रार्थी के पैतृक स्वामित्व एवं हक हिस्से का मकान (उत्तम भवन) है, जिसके के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं उसके भाई उत्तम कुमार टांक के मध्य सम्पत्ति को लेकर विवाद रहा है, जिसमें वह सम्पूर्ण मकान को अपना हिस्सा बता रहा है जो पूर्णतया मिथ्या है। इस बाबत वर्तमान में माननीय सक्षम न्यायालय में भी मुकदमे चल रहे हैं। अतः उक्त भूखण्ड में 1/2 हिस्से के विधिवत रूप से कार्यवाही किये जाने की कृपा करे।	लम्बित	प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से नोटिस दिया जाना है।
120.	22.07.2021	05	105	77	श्री सोमनाथ पुत्र स्व. श्री गुलजारी लाल 9001720225	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी को किराये के सम्बन्ध में मामला कोर्ट में लम्बित होने के कारण दुकान आवंटन से अपात्र घोषित किया गया है, जबकि मुकदमे में किसी तरह का कोई स्टे नहीं किया गया है। उक्त मुकादमा लादूराम सुलानिया एवं प्रार्थी के बीच किराया बढ़ाने व खाली कराने बाबत चल रहा है। प्रार्थी आज तक किरायेदार के रूप में काबिज है तथा लादूराम सुलानिया के वारिसान ने प्रार्थी को दुकान आवंटन न करा पाने के उद्देश्य से जेडीए को गलत सूचना प्रेषित कर गुमराह किया है।	लम्बित	प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से नोटिस दिया जाना है
121.	22.07.2021	05	104	76	श्री अब्दुल रहीम पुत्र श्री बुन्दु खा 9314230715	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी को किराये के सम्बन्ध में मामला कोर्ट में लम्बित होने के कारण दुकान आवंटन से अपात्र घोषित किया गया है, जबकि मुकदमे में किसी तरह का कोई स्टे नहीं किया गया है। उक्त मुकादमा लादूराम सुलानिया एवं प्रार्थी के बीच किराया बढ़ाने व खाली कराने बाबत चल रहा है तथा लादूराम सुलानिया के वारिसान ने प्रार्थी को दुकान आवंटन न करा पाने के उद्देश्य से जेडीए को गलत सूचना प्रेषित कर गुमराह किया है।	लम्बित	प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से नोटिस दिया जाना है

30

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}; फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

12

Shubh
Raj



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

122.	22.07.2021	05	102	74	श्री छीतरमल सैन पुत्र श्री चौधमल सैन 8003594600	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी को किराये के सम्बन्ध में मामला कोर्ट में लम्बित होने के कारण दुकान आवंटन से अपात्र घोषित किया गया है, जबकि मुकदमे में किसी तरह का कोई स्टे नहीं किया गया है। उक्त मुकादमा लादूराम सुलानिया एवं प्रार्थी के बीच किराया बढ़ाने व खाली कराने बाबत चल रहा है तथा लादूराम सुलानिया के वारिसान ने प्रार्थी को दुकान आवंटन न करा पाने के उद्देश्य से जेडीए को गलत सूचना प्रेषित कर गुमराह किया है।	लम्बित	प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से नोटिस दिया जाना है।
123.	22.07.2021	05	106	78	श्री विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री गोकुल चन्द शर्मा 9991908498	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी को किराये के सम्बन्ध में मामला कोर्ट में लम्बित होने के कारण दुकान आवंटन से अपात्र घोषित किया गया है, जबकि मुकदमे में किसी तरह का कोई स्टे नहीं किया गया है। उक्त मुकादमा लादूराम सुलानिया एवं प्रार्थी के बीच किराया बढ़ाने व खाली कराने बाबत चल रहा है तथा लादूराम सुलानिया के वारिसान ने प्रार्थी को दुकान आवंटन न करा पाने के उद्देश्य से जेडीए को गलत सूचना प्रेषित कर गुमराह किया है।	लम्बित	प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से नोटिस दिया जाना है।
124.	22.07.2021	05	101	73	श्रीमती सुधा पत्नी श्री राजकुमार पुत्री स्व. श्री रामवतार शर्मा 9571277415	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी को किराये के सम्बन्ध में मामला कोर्ट में लम्बित होने के कारण दुकान आवंटन से अपात्र घोषित किया गया है, जबकि मुकदमे में किसी तरह का कोई स्टे नहीं किया गया है। उक्त मुकादमा लादूराम सुलानिया एवं प्रार्थी के बीच किराया बढ़ाने व खाली कराने बाबत चल रहा है तथा लादूराम सुलानिया के वारिसान ने प्रार्थी को दुकान आवंटन न करा पाने के उद्देश्य से जेडीए को गलत सूचना प्रेषित कर गुमराह किया है।	लम्बित	प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से नोटिस दिया जाना है।
125.	22.07.2021	01	55	12-A	श्री मंगल चन्द कुमावत 9660039885	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि जेडीए द्वारा करवाये गये सर्वे में मेमरा सर्वे नम्बर 12 व 12ए है, जिसमें दोनो बार सर्वे करने पर मेरे स्वामित्व में से केवल एक दुकान का सर्वे किया गया है, जिसका क्षेत्रफल 9.6 X 35 फीट है, जिसका सर्वे करके मुआवजा राशि 2 X 2 की जगह आवंटित हुई है तथा शेष 4.10 X 18 वाले जो कि मेरी दुकान से लगता हुआ है, जो कि मेरे रेजिडेंस का मुख्य द्वार है जिसका सर्वे नम्बर 12 व 12ए दोनो ही सर्वे में सर्वे नहीं हुआ है ना ही कोई मुआवजा राशि आवंटित हुई है अतः मेरी मुआवजा राशि स्वरूप 2 X 2 मीटर की जो जगह आवंटित हुई है उसके बदले मुझे आज की डीएलसी दरो के अनुसार मेरी स्वामित्व की जगह की एवज में नगद मुआवजा राशि दी जावे।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर क्षेत्रफल पुनः जांच की गई 12+12ए = 7.14 Sqm है। अतः 3 X 3 = 1 व्यावसायिक भूखण्ड दिया जाना है तथा मुआवजा राशि 42675/- अंकित की जानी है।
126.	22.07.2021	05	91	64	श्री राजेश कुमार पुत्र स्व. श्री महादेव 9772701157	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मेरी दुकान का सर्वे नम्बर 63 है जिसका कुल क्षेत्रफल 94.33 जाने वाला है और मुझे 31.50 क्षेत्रफल दिया जा रहा है एवं मेरे नाम में गलती है। मेरा नाम राजेश कुमार पुत्र स्व. श्री माधाराम लिखा हुआ है उसकी जगह राजेश कुमार पुत्र स्व. श्री महादेव अंकित करने	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः क्षेत्रफल की जांच की गई नीतिगत निर्णय के अनुसार 94.34 व.मी. के अनुसार देय दुकान सही है।

3/8

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सैकिल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}; फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

							का श्रम करे।		
127.	22.07.2021	05	276	205, 206	श्रीमति सरस्वती देवी पत्नी स्व. श्री रामनिवास वैद्य 9829023924	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि आरओबी से प्रभावित दुकानों/मकानों में मेरी भी दुकान/मकान है जेडीए द्वारा जो पूर्व में जो नाप की गई थी वह नाप कम है एवं मुआवजा राशि भी कम दी जा रही है। कृपया नाप करवाने व उचित मुआवजा राशि देने की कृपा करे।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः क्षेत्रफल की जांच की गई दुकानों का कुल क्षेत्रफल 26.52 वर्गमीटर है 3 X 6 = 1 देय है तथा मुआवजा राशि 159135+799364 कुल 958500/- अंकित किया जाना है। मकान का कुल क्षेत्रफल 100.12 वर्गमीटर है तथा प्रभावित क्षेत्रफल 42.18 वर्गमीटर है।
128.	22.07.2021	04, 05	1, 271	80 to 84, 201 to 204	श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी स्व. श्री श्रीनिवास वैद्य 7665329400	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि आरओबी से प्रभावित सर्वे नम्बर 80 से 84 में मुआवजा राशि की गणना व पूर्व में जो नाप की गई है, वह कम की गई है। उक्त सर्वे नम्बर में मुआवजा राशि बाजार मूल्य पर देने की कृपा कर तथा सर्वे संख्या 201 से 204 में भी पूर्व में जो नाप ली गई, वह सही नहीं ली गई। मुआवजा राशि भी बाजार मूल्य पर तय नहीं की गई। उक्त सर्वे संख्या 201 से 204 में मकान मालिकिन की दुकानों के उपर रेजीडेंस बना हुआ है जिसमें चार भाईयों का परिवार भी रहता है, उसकी भी नाप व मूल्यांकन नहीं किया गया व दुकाने भी कम आवंटित की गई है।	हाँ	1. आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः क्षेत्रफल की जांच की गई दुकानों का क्षेत्रफल 37.64 वर्गमीटर है। अतः 3X6=1 देय है। तथा मुआवजा राशि 2517226/- देय है। 2. सूची में मुआवजा 669159/- अंकित करना है।
129.	22.07.2021	05	90	61A, 61B, 61C	श्री कपिल कुमावत 9602746983	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा एक वाद संख्या 147/2020 कपिल कुमावत बनाम घासीलाल व अन्य एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 147/2020 कपिल कुमावत बनाम घासीलाल व अन्य माननीय न्यायालय अति.सिविल महानगर मंजि.-पश्चिम द्वितीय में प्रस्तुत कर रखा है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरित अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 23/12/2020 जारी कर दत्त वादग्रस्त सम्पत्ति व मौके पर रिकार्ड की स्थिति यथावत कायम रखने के आदेश प्रदान किये गये हैं जिसमें सचिव जविप्रा व उपायुक्त जौन-6 बतौर पक्षकार हैं। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में किसी प्रकार कोई मुआवजा/आवंटन/नीलामी व अन्य कोई कार्यवाही नहीं की जावे।	लम्बित	प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से नोटिस दिया जाना है।
130.	22.07.2021	04	40	27	श्रीमती पुष्पा मैथी 9414202188	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रकाशित सर्वे सूची में प्रार्थिया का नाम पुष्पा सैनी अंकित किया गया है, जो सही नहीं है। अतः प्रार्थिया का नाम पुष्पा सैनी के स्थान पर पुष्पा मैथी दर्ज करावे।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई है नाम में संशोधन करते हुये पुष्पा सैनी के स्थान पर पुष्पा मैथी करना है।
131.	22.07.2021	03	53	65	श्री रणजीतराम पुत्र श्री सहदेवराम 9782528428	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी द्वारा मालिक श्रीमती पार्वती देवी से दुकान किराये पर लेकर 20 वर्ष से (खुशबु रेस्टोरेट संचालित कर) कार्य कर रहा है। पहले प्रार्थी द्वारा किरायानामा नहीं बनवाया गया था लेकिन अब किरायानामा भी बन गया है। सर्वे में खाली दुकान मालिक का नाम है।	लम्बित	प्रकरण में 2020 का किरायानामा है। तथा व्यापार मण्डल का सर्टिफिकेट 2021 का प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर सक्षम स्तर पर निर्णय लिया जाना है।

38

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}; फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

132.	22.07.2021	05	264	232, 232A	श्री रमेश सैनी (बजरंग मावा-पनीर भण्डार) 9828811037	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी उक्त सर्वे नम्बर में किरायेदार की हैसियत से काबिज है। प्रार्थी की दुकान का क्षेत्रफल 12.05 है जबकि सर्वे में 4.65 क्षेत्रफल के हिसाब से 2 X 2 साईज की दुकान का लाटरी के लिये आवंटन हुआ है। अतः मेरी दुकान क्षेत्रफल 12.05 के हिसाब से मुझे 3 X 3 साईज की दुकान का आवंटन होना चाहिए था। अतः दुबारा सर्वे करके 3 X 3 की दुकान आवंटित करने का श्रम करे।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः क्षेत्रफल की जांच की गई जिसके अनुसार क्षेत्रफल निम्नानुसार पाया गया है। 232 = 4.65 Sqm, 232A = 7.44 Sqm Total 12.09 Sqm 3 X 3 = 1 दुकान देय।
133.	22.07.2021	02	58	27	श्री किशन लाल व घनश्याम बड्डाया 9950830989	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे नम्बर 27 के परीक्षण रिपोर्ट में 1/1/2017 से पहले का किरायानामा न ही होने के कारण प्रार्थी को अपात्र घोषित किया गया है। आवेदक 50 वर्ष से अधिक समय से किरायेदार एवं दुकान पर काबिज है। साथ ही किराये की रसीद फूड लाईसेंस की फोटोप्रति एवं बिजली का बिल संलग्न किया गया है। अतः प्रार्थी का पुनः परीक्षण किया जाकर मुआवजा देने की कार्यवाही की जावे।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई दस्तावेजों में श्रम विभाग का पंजीयन 1998 किराये की रसीद, बीएसएनएल का बिल 2007 का प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर पात्र मानते हुये अंकित किया जाना है।
134.	22.08.2021	02	50	19, 20, 21	श्री रमेश चन्द गुप्ता	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी सर्वे नम्बर 21-ए का मालिक है तथा सर्वे नम्बर 19, 20 व 21 तीनों की 11.7 लम्बाई बतायी गई है, जबकि सर्वे नम्बर 19 व 20 की लम्बाई सिर्फ 15 फीट ही है तथ इनके पीछे का मालिकाना हक सर्वे नम्बर 21 का होने के साथ प्रार्थी का है। अतः दुबारा से नाप करवाकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करे।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः क्षेत्रफल की जांच की गई परियोजना से प्रभावित क्षेत्रफल 37.18 वर्गमीटर है। मुआवजा राशि 283655/- अंकित की जानी है। सर्वे सूची में 21ए का नाम भी जोड़ा जाये जो कि 19 से 21 के पीछे का भाग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 104.80 वर्गमीटर तथा प्रभावित क्षेत्रफल 11.96 वर्गमीटर व मुआवजा 34547/- अंकित की जानी है।
135.	22.07.2021	02	39	08	श्री दुर्गाप्रसाद सैनी पुत्र श्री महादेव प्रसाद सैनी	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी सर्वे नम्बर-8 की दुकान का किरायेदार है जो वर्ष 2007 से उक्त दुकान चला रहा है तथा मकान मालिक किरायानामा बनवाकर अपने पास रखता था, जो प्रार्थी को नहीं देता था तथा प्रार्थी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दुकान आवंटन करने हेतु निवेदन किया है।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई प्रस्तुत दस्तावेजों में दुकान बिल, व्यापार मण्डल की रसीद एवं 100/- रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस हेतु प्रार्थी को नोटिस दिया जाना है।
136.	22.07.2021	02	57	25	श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री धर्मदास 9001823104	किरायेदार	प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.08.08 को निष्पादित किरायानामा (अवधि 01.08.08 से 31.07.2011 तक) एवं किराया रसीद दिनांक 01.04.2018 की प्रति प्रस्तुत की गई है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई प्रस्तुत दस्तावेजों में किरायानामा के आधार पर पात्र मानते हुये अंकित किया जाना है।
137.	22.07.2021	03	01	1C	श्री बाबूलाल	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी का नाम जेडीए की ओर से आवंटन की जा रही सूची में सम्मिलित है लेकिन मेरे नाम के आगे दिवार करने के लिये लिखा हुआ है। साथ ही यह निवेदन किया गया है कि प्रार्थी की कमाई का साधन ये दुकान ही है। इसी से परिवार का पालन पोषण होता है। अतः दुकान आवंटन करने की कृपा करे।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई मौके पर दुकान निर्मित नहीं है। मंदिर जाने वाले रास्ते पर माला बेची जाती है। अतः कोई व्यावसायिक भूखण्ड देय नहीं है। प्रकरण निस्तारित योग्य है।
138.	22.07.2021	01	47	23 to 26	श्री मदन लाल कुमावत, रामकल्याण कुमावत, रामकिशोर कुमावत, राजेन्द्र कुमावत पुत्रान स्व. श्री	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी का नाम सर्वे नम्बर 23 से 26 पर अंकित है जिसमें दुकान संख्या 395, 396, 397, 398 के साथ ही 4 फीट गैलरी भी प्रभावित हो रही है जो इन	हाँ लम्बित	सर्वे करते समय मौके पर मदन लाल नाम ही बताया गया था। चारों भाईयों के मुआवजे का निर्धारण पत्रावली द्वारा किया जाना है।

36

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन. {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

					रामगोपाल कुमावत		चारो दुकानों के साथ ही है। उक्त दुकानों के बदले सूची में प्रार्थीगण को देय मुआवजा स्वरूप दुकान 3 x 4.5 अंकित की गई है। अतः प्रार्थीगणों को आरओबी से प्रभावित 4 दुकानों के बदले केवल एक ही दुकान दी जा रही है जो कि तुलनात्मक रूप से बहुत ही कम है तथा प्रार्थीगण चारो भाई अलग अलग कार्य करते हैं। अतः प्रार्थीगण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुआवजा स्वरूप पृथक पृथक 4 दुकाने आवंटित करने की कृपा करें।		
139.	22.07.2021	04	46	30, 31	श्री सत्यनारायण अग्रवाल पुत्र श्री सूरज नारायण अग्रवाल	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे नम्बर 28 व 5 में जिन हितधारियों की भूमि प्रभावित हुई है, का क्षेत्रफल प्रार्थी की प्रभावित भूमि से लगभग आधा क्षेत्रफल है, उनको भी प्रार्थी के बराबर 3 x 6 की दुकान मुआवजे के रूप में आवंटित की गई है। अतः प्रकाशित सूची के सम्बन्ध में मुआवजे की एकरूपता नहीं होने तथा प्रार्थी को कम मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत कर आपत्ति पर विचार कर प्रार्थी को सही तरीके से मुआवजा दिये जाने हेतु निवेदन किया गया है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः क्षेत्रफल की जांच की गई प्रभावित क्षेत्रफल 7.8 X 6.45 = 50.31 Sqm अतः 3 X 6 = 1, 3 X 3 = 1 दिया जाना है।
140.	22.07.2021	03	26	27	रितेश खण्डेलवाल 9214306353	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी को सर्वे नम्बर 27 की परीक्षण रिपोर्ट में 1/1/17 से पहले के किरायेनामे के अभाव में अपात्र बताया गया है। प्रार्थी द्वारा वर्ष 2012 में किराये पर दुकान ली हैं किरायानामा किराये की रसीद, व्यापार मण्डल की रसीद प्रस्तुत कर पुनः परीक्षण किया जाकर मुआवजा देने का निवेदन किया है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई प्रस्तुत दस्तावेजों में किराये की रसीदे है सन् 2013 की + किरायानामा 2021 का है। जिसे पात्र मानते हुये अंकित किया जाना है।
141.	22.07.2021	01	25	48	श्री वासुदेव कुमावत पुत्र श्री मूलचन्द कुमावत 9414887937	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे नम्बर 48 वासु इलैक्ट्रॉनिक, सामोतिया हाउस खातीपुरा रोड के कालम नम्बर 12-13 जो कोर्टकेस होने की सूचना अंकित है वो गलत है। प्रार्थी एवं उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति के समस्त हिरसेदार जो कि संख्या में 5 है, का आपस में व किसी भी अन्य व्यक्ति/संस्था से उक्त सम्पत्ति पर किसी प्रकार का कोई विवाद सन् 1972 से दिनांक 21.07.21 तक नहीं है एवं उपरोक्त नोट में वर्णित एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के बंटवारेनामे के हिसाब से स्वयं ही एकमात्र स्वामी हूँ एवं सम्पत्ति के स्वयं के हिरसे पर काबिज हूँ। उपरोक्त सम्पत्ति निर्दिष्ट है अतः उपरोक्त सारणी में गलत सूचना को दुरुस्त कर प्रार्थी को सम्पत्ति का एकमात्र स्वामी मानकर कार्यवाही करने की कृपा करें।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई जिसके अनुसार पांचो भाईयो प्रक्रियानुसार मुआवजा निर्धारण हो चुका है।
142.	22.07.2021	01	99	67	महालक्ष्मी टैक्सटाईल्स एण्ड रेडिमेड गारमेंट प्रोपराईटर सीताराम अग्रवाल 9828077712	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी सीताराम अग्रवाल प्रोपराईटर महालक्ष्मी टैक्सटाईल्स एण्ड रेडिमेड गारमेंट का व्यवसाय पिछले 30 वर्षों से चला रहा है। झोटवाडा आरओबी में मेशी दुकान भी प्रभावित हो रही है जबकि जदिप्रा द्वारा जारी प्रभावित किरायेदारों की सूची में मेरा नाम नहीं दिया गया है ना ही कोई जगह आवंटित की गई है। अतः मुझे भी	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई किरायेदार सीताराम अग्रवाल एवं मालिक दिमला देवी पत्नि श्री सीताराम अग्रवाल है। अतः जिसके संबंध में सक्षम स्तर से स्वीकृति ली जानी है।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-+91-141-सम्बंधित कार्यालय : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय} फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

143.	22.07.2021	04	07	76, 77	पूजा शर्मा पुत्री श्री बनवारी लाल शर्मा 9314510947	मालिक	दुकान आवंटित की जावे। आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे सूची में प्रार्थिया का नाम पूजा शर्मा पत्नी श्री बनवारी लाल शर्मा अंकित किया गया है, जबकि मेरा इकरारनामे मे नाम पूजा शर्मा पुत्री श्री बनवारी लाल शर्मा है। अतः मेरे नाम में संशोधन कर सही नाम पूजा शर्मा पुत्री श्री बनवारी लाल शर्मा अंकित किया जावे।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई प्रार्थिया का नाम पूजा शर्मा पत्नी श्री बनवारी लाल शर्मा अंकित किया गया है जिसे दुरस्त करके पूजा शर्मा पुत्री बनवारी लाल शर्मा लिखना है।
144.	22.07.2021	04	07	76, 77	श्री दीपकराज शर्मा प्रो. आदित्य आटोमोबाईल्स 9636893170	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मैं उपरोक्त सर्वे नम्बर की प्रथम मंजिल पर मैसर्स आदित्य आटोमोबाईल्स होलसेल एवं रिटेल का कारोबार जुलाई 2014 से कर रहा हूँ। मेरी फर्म डेट एवं तत्पश्चात जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड है तथा मैं व्यापार के सिलसिले में अधिक समय बाहर रहता हूँ। इस वजह से मुझे सर्वे आदि के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। अतः मेरे आवेदन पर गौर फरमावे एवं मुआवजे स्वरूप जो दिया जा रहा है मुझे भी प्रदान किया जावे। दुकान के टूटने से मुझे आर्थिक नुकसान होगा एवं व्यापार को अन्य जगह स्थापित करना होगा।	नहीं	प्रकरण प्रथम तल पर किरायेदार का है। अतः नीतिगत निर्णय के अनुसार मुआवजा देय नहीं है।
145.	22.07.2021	02	58	27	विमला देवी पत्नी स्व. श्री टेडीचन्द 9950067899	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि खसरा नम्बर 1064 झोटवाडा में प्रार्थिया के पति देवीचन्द पुत्र श्री बालचन्द के नाम से दुकान संख्या 1 व 2 स्थित है जिस पर सर्वे नम्बर 27 अंकित किया हुआ है। उक्त सम्पत्ति के दस्तावेज प्रस्तुत किये जा रहे हैं। देवीचन्द जी का स्वर्गवास 2.11.96 को हो चुका है। अतः प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिये जाने की कृपा करें।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर टेडीचन्द का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है अतः स्वामित्व संबंधी दस्तावेज हेतु नोटिस जारी किया जाना है।
146.	22.07.2021	05	50	38, 40A	गुलाब कवर पत्नी स्व. श्री जगदीश सिंह 8824663087	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मैं उक्त सर्वे नम्बर 38 एवं 40ए क.स. 50 में किरायेदार के रूप में लगभग 26 वर्षों से रह रही हूँ जो कि मुझे भूखण्ड के मुआवजे से वंचित कर दिया गया है। मैं किरायेदार के रूप में भूखण्ड की हकदार हूँ। मैंने किरायानामा, बिजल का बिल, रसीदे, आधारकार्ड, राशनकार्ड आदि संलग्न कर निवेदन है कि उचित मुआवजा भूखण्ड जो हो मुझे दिया जावे।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई बिजली का बिल पति के नाम है 2003 व 2006 का आवासीय व व्यवसायिक किरायेदार है। जांच करनी है। किरायानामा सन् 1993 का है। अतः नोटिस जारी किया जाना है।
147.	22.07.2021	01	99	67	विमला देवी 9829174267	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे नम्बर 67 का कम क्षेत्रफल दर्शाया गया है जबकि अधिक क्षेत्रफल प्रभावित हो रहा है। अतः मौके की पुनः जांच कर सही गणना करने बाबत निवेदन किया है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः क्षेत्रफल की जांच की गई प्रभावित क्षेत्रफल 35.56 व.मी. है। अतः $3 \times 6 = 1$ व्यावसायिक भूखण्ड दिया जाना है।
148.	22.07.2021	04	--	50	श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री एस एन शर्मा 8890404597 9314138001	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि आरओबी के दक्षिणी दिशा में स्थित दुकान के सर्वे की सूची में प्रार्थी का नाम था किन्तु अब जारी की गई 16.07.21 की सूची में दल संख्या 4 की सूची में सर्वे संख्या 50 अंकित नहीं है जिसे लिस्ट में जुड़वाया जाना है।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन सन् 2009-2016 का अग्रीमेन्ट है। अतः न्यायालय का निर्णय प्रार्थी के हक में होने पर $3 \times 6 = 1$ दुकान तथा मुआवजा राशि रु. 483406/- अंकित की जानी है। किरायानामा भी

शु

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

शु

Shubh

Shubh



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

149.	22.07.2021	05	62	51	श्री सुरेश शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा 9314138001	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी सर्वे नम्बर 50 ए0 51 में पिछले 21 वर्ष से स्थापित है और पूर्व में सभी सर्वे एवं अन्वेषण में अपनी उपस्थिति दर्ज करवायी है तथा प्रार्थी और मालिक के मध्य नारायणी का माननीय न्यायालय किराया अधिकरण जयपुर महानगर जयपुर में मुकदमा लम्बित है। प्रार्थी की वर्तमान में 21 वर्षों से उपस्थिति को देखते हुए सूची में नाम दर्ज कर व्यापारी एवं उनके परिवार पर हो रहे कुठाराघात से न्याय प्रदान करें।	लम्बित	है। प्रकरण न्यायालय में विद्वाराधीन होने से नोटिस दिया जाना है।
150.	22.07.2021	04	51	22	श्री प्रभुनारायण गुप्ता 9314182974	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे सूची में प्रार्थी का नाम गलती से प्रभुदयाल गुप्ता अंकित कर दिया है जबकि सही नाम प्रभुनारायण गुप्ता है जिसे रिकार्ड में दुरुस्त करने की कृपा करें।	हैं	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई प्रभुदयाल गुप्ता के स्थान पर प्रभुनारायण गुप्ता किया जाकर संशोधित किया जाना है।
151.	22.07.2021	04	30	36	फूल कदर शर्मा पत्नी श्री भवर् लाल शर्मा	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी का निवास स्थान भी दुकान के पीछे ओर दुकान के उपर ही है जिसमें प्रार्थीयों निवास कर रही है। दुकान का पुर्नवास नहीं दर्शाया गया है। अतः प्रार्थी का प्रकरण पर पुनः विचार कर उचित न्याय दिलाने की कृपा करें।	हैं	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई सूची में अंकित मुआवजा सही है। तथा आवास प्रभावित होने के कारण एक आवासीय भूखण्ड दिया जाना है।
152.	22.07.2021	04	22	42	प्रकाश चन्द शर्मा पुत्र स्व.श्री नाथूलाल शर्मा	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी उक्त किरायेदुदा दुकान पर बैठकर रोजगार करता आ रहा है। उक्त दुकान झोटवाडा आरओबी में हटा दी जावेगी जिससे प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को काफी क्षति होगी। इसलिए प्रार्थी को सर्वे सूची कम संख्या 22 के सर्वे नं. 42 पर हितधारी स्वीकार करते हुये पुर्नवास में शामिल किया जावे।	नहीं	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई गवाह, 50/- रुपये के स्टामप पर शपथ पत्र, स्वयं काबिज होने का 2018 का किरायानामा, व्यापार नण्डल की रसीद नौके पर उक्त भूखण्ड प्रभावित नहीं है।
153.	22.07.2021	05	56	44 & back	अशोक कुमार सैनी 9829110669	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मुआवजा की गणना कम की गई है अतः मुआवजे की गणना पुनः की जावे की आपत्ति दर्ज की गई है।	नहीं	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई मुआवजे की गणना सही पायी गयी है।
154.	22.07.2021	04			भूनेश्वर गुप्ता 8764213065	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि जविप्रा में अपलोड की गई दुकानों की सूची में मेरे सर्वे नं.6 में मेरी स्वयं की दुकान का सूची में नाम नहीं आया है। जविप्रा सूची में मेरा नाम इन्द्राज करवाया जावे ताकि मुआवजा राशि प्राप्त हो सकें।	हैं	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः क्षेत्रफल की जांच की गई प्रभावित क्षेत्रफल 12.75 वर्ग मी. अतः 3 X 3 = 1 व्यावसायिक भूखण्ड तथा मुआवजा राशि रु. 140077/- अंकित की जानी है।
155.	22.07.2021	02	68	68,69,70	तारादेवी पत्नी स्व. श्री करतार सिंह 9983128868	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 154 वर्गगज की भूमि में निर्मित दुकान के बदले दुकान तो दी जा रही है। परन्तु दुकान के पीछे करीबन 80 वर्गगज का आपके द्वारा प्रकाशित सूची में मुआवजे का कोई उल्लेख नहीं किया गया। उक्त प्रभावित भूमि के बदले उचित मुआवजा दिलवाने का श्रम करावें।	नहीं	पूर्व में भूखण्ड में निर्माण को तुड़ा दिया गया था। अतः कोई मुआवजा राशि देय नहीं है। अतः प्रकरण निस्तारित योग्य है।

26

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

[Handwritten signatures and initials]



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

156.	22.07.2021	05	228	183	अशोक कुमार 9829015595	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि हमारे द्वारा निर्मित तीन मंजिला भवन का कुछ हिस्सा एवं करीबन 666.00 वर्गगज की भूमि प्रभावित हो रही है। उक्त भूमि की गणना बहुत ही कम की गई है। अतः उचित मुआवजा एवं दुकान दिलवाने का श्रम करें।	नहीं	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई प्रकरण में क्षेत्रफल की गणना सही पायी गयी है।
157.			231	184 to 189	अशोक कुमार 9829015595	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि हमारे द्वारा निर्मित तीन मंजिला भवन एवं 6 दुकानें प्रभावित हो रही हैं। उक्त भूमि की गणना बहुत ही कम की गई है। अतः उचित मुआवजा एवं दुकान दिलवाने का श्रम करें।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई 184 से 189 के पीछे में सर्वे धारक का नाम सर्वे नम्बर 183 पर होगा तथा 184 से 189 के पीछे के पीछे का संशोधन आपत्ति संख्या 8 पर कर दिया गया है।
158.	22.07.2021	04	28	37	रतन लाल पुत्र स्व. श्री रामगोपाल 9166664488	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मेरे भूखण्ड संख्या 2 क्षेत्रफल 213.33 वर्गगज में से 106.66 वर्गगज प्रभावित हो रही है जिसके बदले मुझे ना ही कोई दुकान और ना भूमि आवंटित की जा रही है। अतः उक्त प्रभावित भूमि के बदले दुकानों के साथ भूमि का उचित मुआवजा दिलवाने का श्रम करें।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई मौके पर भूखण्ड रिक्त पाया गया है। प्रकरण नीतिगत निर्णय से सम्बन्धित है।
159.	22.07.2021	04	228	37	तारादेवी पत्नि स्व. श्री करतार सिंह 9983128868	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मेरे भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 222.22 वर्गगज में से 111.11 वर्गगज प्रभावित हो रही है जिसके बदले मुझे ना ही कोई दुकान और ना भूमि आवंटित की जा रही है। अतः उक्त प्रभावित भूमि के बदले दुकानों के साथ भूमि का उचित मुआवजा दिलवाने का श्रम करें।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई मौके पर भूखण्ड रिक्त पाया गया है। प्रकरण नीतिगत निर्णय से सम्बन्धित है।
160.	22.07.2021	05	235	192A	मंजू शर्मा पत्नी स्व. श्री योगेश कुमार शर्मा	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे सूची में योगेश कुमार शर्मा के स्थान पर प्रार्थीया श्रीमति मंजू शर्मा पत्नी स्व. श्री योगेश कुमार शर्मा का नाम अंकित किया जावे तथा प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल 33.46 के स्थान 39.65 अंकित किया जावे।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई तीन बेटों का शपथ पत्र है कि माँ के नाम ही मुआवजा दिया जावे।
161.	22.07.2021	4	43	18 & 19	प्रदीप कुमार/अजय कुमार पुत्र श्री मोहन लाल गुप्ता	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि जदिप्रा द्वारा जारी प्रभावितों की सूची में प्रभावित भूमि की नाप पूर्ण नहीं है। तथा मुआवजे के स्वरूप हमें एक ही दुकान आवंटित की गई है। उक्त सम्पत्ति के हम दो बारिसान हैं अतः प्रभावित भूमि के बदले दो भूखण्ड आवंटित की जावे।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः क्षेत्रफल की जांच की गई 17 एवं 18 के पीछे तथा 17 एवं 18 का सर्वे पुनः जांच कर ली गयी है। जो कि सही पायी गयी है। स्ट्रक्चर का मुआवजा 356710/- रु. देय है।
162.	22.07.2021	05	231	185	श्रीमती सन्तारा देवी पत्नी श्री सागर 9352951971	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मैं। सर्वे नम्बर 185 की दुकान में पिछले 10 वर्षों से व्यवसाय करती चली आ रही हूँ। मेरे पास आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है। अतः मुझे उक्त प्रभावित दुकान के बदले भूखण्ड दिया जावे ताकि मेरी आजीविका चला सकूँ।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई मालिक तारा देवी पत्नि करतार सिंह ने स्वयं का शपथ पत्र दिया है।
163.	22.07.2021	05	231	186	श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा 9828460844, 8875887666	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मैं। सर्वे नम्बर 186 की दुकान में पिछले 10 वर्षों से व्यवसाय कर रहा हूँ। मेरे पास आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है। अतः मुझे उक्त प्रभावित दुकान के बदले भूखण्ड दिया जावे ताकि मेरी आजीविका चला सकूँ।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई मालिक तारा देवी पत्नि करतार सिंह ने स्वयं का शपथ पत्र दिया है।

88

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- (+91-141-सम्बन्धित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बन्धित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बन्धित अधिकारी का ईमेल}

88

88

88



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

164.	22.07.2021	05	231	187	श्री चौथमल पुत्र श्री कान्हाराम 9928897095	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मैं। सर्वे नम्बर 187 की दुकान में पिछले 10 वर्षों से इईक्लीन व प्रेस का व्यवसाय कर रहा हू। मेरे पास आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है। अतः मुझे उक्त प्रभावित दुकान के बदले भूखण्ड दिया जावे ताकि मेरी आजीविका चला सकूँ।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई मालिक तारा देवी पत्नि करतार सिंह ने स्वयं का शपथ पत्र दिया है।
165.	22.07.2021	05	231	189	श्री बाबूलाल वर्मा पुत्र श्री रामू वर्मा 9887607618	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मैं। सर्वे नम्बर 189 की दुकान में पिछले 10 वर्षों से व्यवसाय कर रहा हू। मेरे पास आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है। अतः मुझे उक्त प्रभावित दुकान के बदले भूखण्ड दिया जावे ताकि मेरी आजीविका चला सकूँ।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई मालिक तारा देवी पत्नि करतार सिंह ने स्वयं का शपथ पत्र दिया है।
166.	22.07.2021	04	--	--	श्री नवीन अग्रवाल 9887503987	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मेरे द्वारा सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे किन्तु जदिप्रा द्वारा जारी सर्वे सूची में मेरे आरओबी से प्रभावित भूखण्डों के प्रभावितों की सूची में मेरा नाम अंकित नहीं किया गया है। अतः सर्वे नम्बर 50 पुनः जांच कर उचित मुआवजा दिलाने की कृपा करें।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः क्षेत्रफल की जांच की गई प्रभावित क्षेत्रफल 32.35 व.मी. $3 \times 6 = 1$ व्यावसायिक भूखण्ड तथा मुआवजा राशि रु. 483406/- देय है।
167.	22.07.2021	05	249	222 to 227	सचिव श्री देवेन्द्र बोहरा 9314511401	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी की 08 दुकान व दुकानों के पीछे एक खाली भूखण्ड मे से खाली भूखण्ड को अधिग्रहण से मुक्त किया जावे तथा क्षतिपूर्ति स्वरूप 08 दुकानों की जगह अलाट की जावे व मुआवजा राशि बढ़ा दी जावे।	हाँ लम्बित	पीछे का भूखण्ड रिक्त है। खाली भूखण्ड होने की स्थिति में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। 8 दुकानों का कुल क्षेत्रफल प्रभावित होने की स्थिति में है। $3 \times 4.5 = 1$ $3 \times 6 = 1$ दिया जाना है।
168.	22.07.2021	05	258	228 to 231	दिशुकान्ता एवं आशा देवी बोहरा 9529523367	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि हमारे हिस्से में 04 दुकाने हैं जिनमें से हमने एक दुकान किरायेदार श्री विमल बोहरा पुत्र श्री अशोक बोहरा को दे रखी है जिसका किराया नामा विमल बोहरा के नामा 2014 से जारी है। परन्तु लक्ष्मी सेन्टर द्वारा उसका व्यापार मण्डल से दुकान का प्रमाण पत्र गलत तरीके से ले लिया है और लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार के किरायेदार सुरेश शर्मा ने अपनी पत्नी के नाम से दुकान दिखाकर फर्जी प्रमाण पत्र लिया है। उनके पास हमारे द्वारा दिया हुआ कोई किरायानामा एवं रसीद नहीं है। उक्त दुकान का मुआवजा श्रीमति अनिता शर्मा पत्नी श्री सुरेश शर्मा सर्वे नम्बर 231 को दिया जाना अनुचित/गलत है। अतः उसका मुआवजा विमल बोहरा को दिया जाना चाहिए। हमारी हवेली 220 वर्ष पुरानी है उस समय जयपुर का कोई मास्टर प्लान नहीं था और यह जमीन हमारे पूर्वजों को रहने के लिये दी गई थी जिस पर हम आज भी काबिज हैं। जेडीए द्वारा इस जमीन का कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई लक्ष्मी भण्डार किरायेदार सुरेश शर्मा की आपत्ति आधार पर नोटिस दिया जाना है।
169.	22.07.2021	05	264	231	विमल बोहरा पुत्र श्री अशोक बोहरा 9694296678	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मेरे स्वयं के नाम से किराये पर ली गई दुकान सर्वे नम्बर 231 में स्थित है उक्त दुकान को वर्ष 2014 से किराये पर ले रखी है जिस पर मैं आज दिनांक 22.07.2021 तक किरायेदार की हैसियत से	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई अतः स्वामित्व के संबंध में निर्णय लेने हेतु नोटिस जारी किया जाना है।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}; फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

170.	22.07.2021	02	42, 21	25, 26	श्री भानूप्रताप सिंह, श्री दिग्विजय सिंह, तरुण कुमार पुत्रान उत्तम कुमार टांक	मालिक	काबिज हू जबकि जविप्रा वैबसाइट पर डाली गई लिस्ट में मेरी क.स. 265 एवं सर्वे नम्बर 231 अनिता शर्मा पत्नी श्री सुरेश कुमार के स्थान पर मेरा नाम दर्ज करने की कृपा करे। आपत्तिकर्ता द्वारा कोर्टकेस होना बताया गया है। सर्वे क्रमांक 26 किरायेदार को पात्र माना है। किरायेदार को अपात्र मानने हेतु आपत्ति दर्ज करवायी गई है।	लम्बित	प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से नोटिस दिया जाना है।
171.	22.07.2021	02	63	34	श्री मोहित खण्डेलवाल पुत्र श्री बाबूलाल खण्डेलवाल 9252977851	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे नम्बर 34 जिसकी मालिक मोहिनी देवी है, मैं उक्त परिसर में बतौर किरायेदार की हैसियत से 40 वर्षों से व्यापार चला रहा हू जिसका किराया मेरे जरिये वहन किया जा रहा है। जिसका विधुत बिल भी किरायेदार के नाम से आ रहा है अतः इसका जो भी मुआवजा व राशि जारी की जावे या भूमि के बदले जो भूमि दी जावे वह मुझ प्रार्थी किरायेदार के नाम से जारी की जावे तथा सर्वे नम्बर 34 पर जो आपत्ति लगायी गई है उसे खारिज की जावे।	लम्बित	प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से नोटिस दिया जाना है।
172.	22.07.2021	05	84	58	श्री विनोद कुमार सुलानिया पुत्र स्व. श्री लादूराम सुलानिया 9252042482	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे नम्बर 59 जरीना बानो को अंकित किया गया है जबकि आपत्तिकर्ता द्वारा स्वयं को मालिक बताकर आपत्ति दर्ज की गई है।	लम्बित	प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से नोटिस दिया जाना है।
173.	22.07.2021	05	291	55 to 59 के पीछे एवं पूर्वी भाग	श्री विनोद कुमार सुलानिया पुत्र स्व. श्री लादूराम सुलानिया 9252042482	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे नम्बर 55 से 59 के पीछे लल्लू लाल को मालिक बताया गया है जबकि आपत्तिकर्ता द्वारा स्वयं को मालिक बताकर आपत्ति दर्ज की गई है।	लम्बित	प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से नोटिस दिया जाना है।
174.	22.07.2021	05	--	58 to 86 के पीछे	श्री विनोद कुमार सुलानिया पुत्र स्व. श्री लादूराम सुलानिया 9252042482	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे नम्बर 58 से 86 के पीछे आपत्तिकर्ता द्वारा स्वयं को मालिक बताकर उचित मुआवजा दिलाये जाने हेतु निवेदन किया है।	लम्बित	प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से नोटिस दिया जाना है।
175.	22.07.2021	05	85	58	श्री विनोद कुमार सुलानिया पुत्र स्व. श्री लादूराम सुलानिया 9252042482	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा सर्वे नम्बर 58 मालिकाना हक स्वयं का बताते हुए कोर्टकेस होना बताया गया है।	लम्बित	प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से नोटिस दिया जाना है।
176.	22.07.2021	05	86	59	श्री विनोद कुमार सुलानिया पुत्र स्व. श्री लादूराम सुलानिया 9252042482	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा सर्वे नम्बर 59 मालिकाना हक स्वयं का बताते हुए विवादित होना बताया गया है।	लम्बित	प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से नोटिस दिया जाना है।
177.	22.07.2021	05	--	71, 72	शान्ति देवी पत्नी श्री विनोद कुमार 9252042482	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि कालवाड रोड झोटवाडा पुलिया के नीचे मेरी दुकान है जो पक्की बनी हुई है। उपरोक्त दुकान का सर्वे कर मुझे उचित मुआवजा दिलाया जावे।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः क्षेत्रफल की जांच की गई सर्वे संख्या 71 व 72 का कुल प्रभावित क्षेत्रफल 63.24 ब.मी. है। $3 \times 4.5 = 1$ $3 \times 6 = 1$ दिया जाना है तथा मुआवजा राशि 179493/- रु. दी जानी है।
178.	22.07.2021	05	227	184	प्रधुम्न गौतम 9413970284	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी उक्त सर्वे की भूमि पर बनी हुई दुकान में श्री महावीर आयुर्वेदिक औषधालय चलाकर दिनांक 9.11.2012 से आदिनांक तक किरायेदार के रूप में निरन्तर चलाता आ रहा है। अतः श्री महावीर	नहीं	मुआवजा नियमानुसार ही दिया गया है। अतः प्रकरण निरस्तारित योग्य है।

36

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

[Handwritten signatures and initials]



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

179.	22.07.2021	05	236	193 to 196	मनोज सिंह 9414990955, 7014916410	मालिक	आयुर्वेदिक औषधालय की भूमि की माप में वृद्धि कर बड़ा भूखण्ड आवंटित करने की कृपा करें। आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मौका जांच पुनः करवाकर एरिया दिया जावे।	नहीं	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई मोके पर पूर्व में देय मुआवजा सही पाया गया है।
180.	22.07.2021	05	37	21, 22	श्री शंकर लाल शर्मा	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मुझे खाली दुकान का मुआवजा दिया जावे।	नहीं	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई मोके पर पूर्व में देय मुआवजा सही पाया गया है।
181.	22.07.2021	02	51	32	श्री शब्दीर खान पुत्र श्री इब्राहीम खान 8094002798	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी को परीक्षण रिपोर्ट में 1/1/17 से पहले का किरायानामा नहीं होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है जबकि प्रार्थी 50 वर्ष से अधिक समय से किरायेदार है। इस सम्बन्ध में रसीद शपथ पत्र प्रस्तुत कर पुनः परीक्षण कर मुआवजा देने की कार्यवाही करने बाबत निवेदन किया है।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई पटाखा दुकान लाईसेंस 2012 का है एवं मालिक का शपथ पत्र है।
182.	22.07.2021	05	--	212	श्री अशोक कुमार घोसल्या 9828255505	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि आवेदक वर्ष 2015 से किराये पर उक्त दुकान व आफिस में एडवोकेट चैम्बर खोलकर रजिस्ट्री से सम्बन्धित कार्य किया जा रहा है तथा वर्ष 2015 से व्यापार मण्डल का सदस्य है बाबत अवगत कराते हुए सूची में नाम जोड़कर राज्य सरकार से अनुमोदित पोलिसी अनुसार पुर्नवास किये जाने बाबत निवेदन किया है।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई 2021 का किरायानामा व व्यापार मण्डल की रसीद है। अतः जिसके आधार पर सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाना है।
183.	22.07.2021	02	26	30	श्री सुभाष चन्द गहलोत पुत्र श्री त्रिलोक चन्द गहलोत 9314939511	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी को सर्वे से सम्बन्धित दस्तावेजों के अभाव में पात्र नहीं माना गया है जबकि प्रार्थी के पास जमीन से सम्बन्धित बख्शीशनामा है जिससे प्रार्थी का दुकान मालिक होना सिद्ध होता है जिसका मुआवजा प्रार्थी को दिया जावे।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई बख्शीशनामा के आधार पर पात्र मानते हुये अंकित किया जाना है।
184.	22.07.2021	04	70	03	श्री रमेश चन्द शर्मा	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि किराये की रसीद वर्ष 1992 से 1993 की पेश की गई है।	नहीं लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई किराये की रसीद सन् 1993 की एवं फूड सेफ्टी रजिस्ट्रेशन है। लेकिन वर्तमान में मोके पर नहीं है।
185.	22.07.2021	05	51, 52	39, 40	श्री सृजाराम 8107536972	मालिक (खातेदार)	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि उक्त सर्वे में किरायेदार का स्वामित्व तय किया गया है। खातेदार द्वारा अब दस्तावेज प्रस्तुत कर मुआवजा दिये जाने हेतु निवेदन किया है।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई प्रदीप रात्रा एवं राजेन्द्र रात्रा को मुआवजा हेतु किरायेदार के रूप में पात्र माना गया है। अतः नोटिस दिया जाना है।
186.	22.07.2021	04	90	56	श्री नरेन्द्र सिंह 9829012770	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी द्वारा वर्ष 2014 की किरायानामा रसीद प्रस्तुत कर नियमानुसार दुकान का आवंटन करने हेतु निवेदन किया है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई किरायानामा एवं 2014 की किराये की रसीदों के आधार पर पात्र मानते हुये अंकित किया जाना है।
187.	22.07.2021	04	33	57	श्री आनन्द सिंह 9460070381	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी द्वारा वर्ष 2014 की किरायानामा रसीद प्रस्तुत कर नियमानुसार दुकान का आवंटन करने हेतु निवेदन किया है।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई किरायानामा एवं 2014 की किराये की रसीदों के आधार पर पात्र मानते हुये अंकित किया जाना है।

36

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बन्धित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बन्धित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बन्धित अधिकारी का ईमेल)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

188.	22.07.2021	05	245	197 to 199 के पीछे	श्री प्रशान्त खण्डेलवाल पुत्र रामरतन वैद्य 9829059398	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि उपरोक्त सर्वे नम्बर के पीछे उक्त सर्वे में दुकानों के पीछे मेरी प्रभावित सम्पत्ति का उल्लेख नहीं किया गया है। अब पुनः समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रभावित सम्पत्ति का पुनः सर्वे करवाकर मुआवजा राशि तय करने हेतु निवेदन किया है।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई 197 से 199 के पीछे (200 के पीछे) दो भाईयों का अलग-अलग नाप किया गया 1. राम प्रसाद वैद्य- मुआवजा 236733/- 2. प्रशान्त पुत्र राम रतन वैद्य का मुआवजा 396771/- कुल क्षेत्रफल 200.68 वर्गमीटर प्रभावित क्षेत्रफल 121.68 वर्गमीटर आवासीय भूखण्ड देय नहीं है। आपत्ति संख्या 188 के अनुसार
189.	22.07.2021	05	245	197 to 199	श्री रामरतन गोयल	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि दुबारा सर्वे करवाकर मुआवजे की राशि पुनः निर्धारण की जावे।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः क्षेत्रफल की जांच की गई प्रभावित क्षेत्रफल 9.12 वर्गमी. था। $3 \times 3 = 1$ व्यावसायिक भूखण्ड व मुआवजा राशि रु. 147005/- देय है।
190.	22.07.2021	04	32 to 34	220 to 224 के पीछे का हिस्सा	श्री पुरुषोत्तम विजय एवं महेश कुमार विजय पुत्र स्व. श्री रामकिशन मोदी 9602517662	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि पुनः जांच कर मुआवजे का निर्धारण किया जावे।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः क्षेत्रफल की जांच की गई प्रभावित क्षेत्रफल 9.12 वर्गमी. था। $3 \times 3 = 1$ व्यावसायिक भूखण्ड व मुआवजा राशि रु. 147005/- देय है।
191.	22.07.2021	05	259	227	श्री सजय शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा 9667054197	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी पिछले 33 वर्षों से यहाँ व्यापार कर परिवार का पालन पोषण कर रहा है, जिसके पास आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है। अतः अतः दुकान या उचित मुआवजा दिलाने की कड़ा करे।	लम्बित	10.04.2018 की नन्दवाना समाज की रसीदे प्रस्तुत की गई है। अतः अन्य स्वामित्व दस्तावेजों हेतु नोटिस जारी किया जाना है।
192.	22.07.2021	01	47	23 to 26 के पास	श्री अशोक कुमार कुमावत 9314500746	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि जविप्रा द्वारा जारी सूची में प्रार्थी की सम्पत्ति का कोई विवरण नहीं है अतः मुआवजा दिलाये जाने हेतु जारी की गई सूची में विवरण जोड़कर प्रार्थीगण को सूचित कर कृतार्थ करे।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई दस्तावेजों के आधार पर अशोक के पिता लक्ष्मीनारायण एवं उनके भाई रामगोपाल पुत्र श्री गौरीलाल की जमाबन्दी है। तथा पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र है व माताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र है। अतः सजरा एवं स्वामित्व हेतु नोटिस जारी किया जाना है।
193.	22.07.2021	04	32	53 to 57 के पीछे	श्रीमति शारदा देवी पत्नी श्री आनन्द सिंह 9314639333	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रकाशित सूची में जिनके मकान प्रभावित हैं, उनको लाईजेबल फोर हाउस किया गया है जबकि प्रार्थी के सन्दर्भ में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अतः उचित मुआवजा दिलवाने का कष्ट करे।	नहीं	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई मुआवजा नियमानुसार ही दिया गया है।
194.	22.07.2021	02	23	31	श्रीमति सपना गहलोत पत्नी श्री सुभाष चन्द गहलोत 9314939511	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मुआवजा स्वरूप दी जाने वाली दुकान का क्षेत्रफल बढ़ाने का कष्ट करे।	हाँ	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः क्षेत्रफल की जांच की गई सर्वे क्रमांक 31, 32 व 33 पर दुकानों का कुल क्षेत्रफल 40.67 वर्गमी. है। $3 \times 6 = 1$ व्यावसायिक भूखण्ड देय है। तथा मुआवजा 399672/- देय है।
195.	22.07.2021	02	32	18	श्री शमशेर पुत्र श्री अलीशेर	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी 30 वर्ष से अधिक समय से उक्त दुकान मालिक सुभाष चन्द गहलोत का किरायेदार है। जेडीए सूची में शमशेर खान का नाम अंकित होना चाहिए, जबकि जेडरी लिस्ट में श्याम सुन्दर खण्डेलवाल एवं नारायण खण्डेलवाल का नाम दर्ज है। अतः पुनः परीक्षण किया जाकर मुआवजा देने का कष्ट करे।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई 1993 की किरायेनामा व रसीदे प्रस्तुत की गई है परन्तु नोटिस जारी कर किरायेदार होने के साक्ष्य हेतु नोटिस जारी किया जाना है।

32

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

32

32



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

196.	22.07.2021	05	--	164, 165	श्री नेमीचन्द यादव 9828051751	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी उक्त दुकान में 28 वर्षों से (वर्ष 1993) दुकान संचालित कर रहा है किन्तु प्रार्थी को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अतः नियमानुसार मुआवजा दिलवाने की कृपा करे।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई शपथ पत्र, किरायानामा 2016 का है। नदीन पत्रावली है अतः जिसके संबंध में संक्षम स्तर से निर्णय लिया जाना है।
197.	22.07.2021	01	37	35	श्री गिरीश शर्मा 9413765051	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि उक्त दुकानों के उपर निर्मित चार दुकानों का मुआवजा दिलवाया जावे।	नहीं	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई प्रकरण प्रथम तल पर निर्मित दुकानों का है अतः नितिगत निर्णय के अनुसार मुआवजा तय नहीं स्ट्रेक्चर मुआवजा पूर्व में दिया जा चुका है।
198.	22.07.2021	01	38	35	श्री सतीश शर्मा 9314915822	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि दुकान संख्या 4 व उसके उपर स्थित एक दुकान की मुआवजा राशि तय करने का कष्ट करे।	हों	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई क्रम संख्या 42 पर अंकित 32 प्रथम तल का मुआवजा हटाना है तथा क्रम संख्या 38 के ऊपर का मुआवजा तकमीना अनुसार अंकित किया जाना है तथा क्रम संख्या 37 पर अंकित सर्वे नम्बर 35 पर 33, 34, 35 के ऊपर का मुआवजा राशि रु 203114/- देय है। क्रम संख्या 38 पर 35 भूतल का मुआवजा अंकित होगा तथा साथ ही 32 प्रथम तल का मुआवजा भी अंकित होगा।
199.	22.07.2021	05	222	166 to 168	श्रीमती सूरज देवी शर्मा पत्नी स्व. श्री जुगल किशोर शर्मा	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थिया को भू-अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार वांछित मुआवजा राशि का भुगतान वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर किये जाने के साथ ही प्रार्थिया की तीनों दुकानों व मकान की अवाप्ति के बदले तीन दुकाने व आवासीय मकान आवंटित किये जावे। इसके अलावा मुआवजा प्राप्त करने वाले हितधारियों की सूची में से क्र.स. 223 पर अंकित निजामुददीन शेख को प्रार्थिया की दुकान के बदले किसी भी प्रकार का मुआवजा या दुकान आवंटित नहीं की जावे।	लम्बित	नितिगत निर्णय के अनुसार मुआवजा तय कर लिया गया है। आपत्तिकर्ता द्वारा किरायेदार को हटाये जाने की मांग की गयी है। जिसका निर्णय पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाना है।
200.	22.07.2021	02	15	52	श्री अब्दुल हमीद 9352540351	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रस्तुत दस्तवेजों को स्वीकार कर सरकार की पालिसी अनुसार प्रार्थी को मुआवजा दिया जावे।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई वार्ड पार्श्व द्वारा जारी कुर्सीनामा शपथ पत्र, अब्दुल अजीज की वसीयत में वारिस अब्दुल हमीद का बताया गया है। जमाबन्दी रघुनाथ पुत्र लच्छीराम के नाम की है। लेकिन दस्तवेज प्रस्तुत नहीं है।
201.	22.07.2021	02	06	50, 51	श्री अब्दुल सत्तार 9352540351	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रस्तुत दस्तवेजों को स्वीकार कर सरकार की पालिसी अनुसार प्रार्थी को मुआवजा दिया जावे।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई वार्ड पार्श्व द्वारा जारी कुर्सीनामा शपथ पत्र, अब्दुल सलाम की वसीयत में वारिस अब्दुल सत्तार एवं अन्य को बताया गया है। जमाबन्दी रघुनाथ पुत्र लच्छीराम के नाम की है। दस्तवेज अस्पष्ट है। अतः नोटिस जारी किया जाना है।

अ

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

अ

अ



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

202.	22.07.2021	05		40	श्री अंकित चेदी पुत्र श्री नुकेश चेदी	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मालिक श्रीमती प्रेमलता एवं मेरे साथ किरायानामा (दुकान नम्बर-2) लिखा हुआ है। किरायेदार के माध्यम से से अपने कागज पेश कर रहा हूँ। मुझे प्रार्थी को भी किरायेदार की हैसियत से प्रक्रिया में शामिल किया जावे।	लम्बित	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः जांच की गई किरायानामा सन् 2013 नवीन पत्रावली होने से सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाना है।
203.	22.07.2021	05		179	श्री चेताराम पुत्र श्री रामसहाय	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मालिक श्रीमती प्रेमलता एवं मेरे साथ किरायानामा (दुकान नम्बर-2 ओम गिफ्ट कार्नर) लिखा हुआ है। किरायेदार के माध्यम से से अपने कागज पेश कर रहा हूँ। मुझे प्रार्थी को भी किरायेदार की हैसियत से प्रक्रिया में शामिल किया जावे।	लम्बित	किरायानामा 2015 का है नवीन पत्रावली होने से सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाना है।
204.	25.07.21	5	11	3F	श्री उत्तम प्रकाश शर्मा पुत्र स्व. श्री गणेश नारायण शर्मा	पुजारी मन्दिर श्री सीतारामजी	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी उक्त मन्दिर की पूजा सेवा बारी-बारी से करते आ रहे हैं। मन्दिर के पीछे घर दुकानों में दुकान नम्बर-4 प्रार्थी की है जो आज की तारीख में प्रार्थी एकमात्र मालिक है। आज की तारीख में कोई किरायेदार नहीं है।	लम्बित	न्यायालय में प्रकरण लम्बित होने से नोटिस दिया जाकर नोटिस दिया जाना है।
205.			112 दु.स. 3		श्री मनोज कुमार कुमावत पुत्र श्री मोहन लाल कुमावत 9982597924	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मेरी दो दुकान है जो पृथक पृथक है और मैंने विभाग में दोनों दुकानों के पृथक पृथक दस्तावेज जमा करवाये थे जिसके बावजूद विभाग की गलती के कारण झोटवाडा आरओबी से प्रभावित लोगों की सूची में देय मुआवजा स्वरूप एक ही दुकान दर्शायी गई है जबकि मुझे देय मुआवजा स्वरूप दो अलग अलग दुकाने मिलनी चाहिए। अतः मुझे दो दुकान आवंटित करने का श्रम करे।	नहीं	क्रम संख्या 11 की आपत्ति के अनुसार मौके पर एक ही दुकान संचालित है तथा स्वामित्व भी एक ही व्यक्ति का है। अतः पृथक से दुकान हेतु पात्र नहीं है।
206.			112 दु.स. 2		श्री मनोज कुमार कुमावत पुत्र श्री मोहन लाल कुमावत 9982597924	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मेरी दो दुकान है जो पृथक पृथक है और मैंने विभाग में दोनों दुकानों के पृथक पृथक दस्तावेज जमा करवाये थे जिसके बावजूद विभाग की गलती के कारण झोटवाडा आरओबी से प्रभावित लोगों की सूची में देय मुआवजा स्वरूप एक ही दुकान दर्शायी गई है जबकि मुझे देय मुआवजा स्वरूप दो अलग अलग दुकाने मिलनी चाहिए। अतः मुझे दो दुकान आवंटित करने का श्रम करे।	नहीं	क्रम संख्या 11 की आपत्ति के अनुसार मौके पर एक ही दुकान संचालित है तथा स्वामित्व भी एक ही व्यक्ति का है। अतः पृथक से दुकान हेतु पात्र नहीं है।
207.	26.07.21	2	20	5, 6, 6A, 6B.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री दुर्गालाल शर्मा 9462661122	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि साईड चैक कर प्रार्थी को उचित मुआवजा दिलवाने का श्रम करे।	हाँ	सर्वे सूची में क्रम संख्या 20 पर सर्वे संख्या 05 पर मौजुद मालिकों के नाम में कमला देवी का नाम रखना है। क्षेत्रफल 9.6 मुआवजा 3X3=1 मुआवजा 83845/- तथा सर्वे संख्या 6 पर राजेन्द्र प्रसाद क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर 3X3=1 तथा 6ए एवं 6बी पर 3X4.5=1 तथा 6, 6ए, 6बी का संयुक्त मुआवजा 281045/- है।

36

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

[Signature]

[Signature]

[Signature]



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

208.	26.07.21	2	20	5	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री दुर्गालाल शर्मा 9462661122	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि आपके द्वारा प्रकाशित सूची में सर्वे नम्बर 5 पूर्व मार्क सर्वे नम्बर 6 का प्रार्थी को राज.राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पुर्नवास करने हेतु भूमि आवंटन करने की कृपा करे।	नहीं	आपत्ति संख्या 207 के अनुसार है। सर्वे सूची में क्रम संख्या 20 पर सर्वे संख्या 05 पर मौजुद मालिकों के नाम में कमला देवी का नाम रखना है। क्षेत्रफल 9.6 मुआवजा 3X3=1 मुआवजा 83845/- तथा सर्वे संख्या 6 पर राजेन्द्र प्रसाद क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर 3X3=1 तथा 6ए एवं 6बी पर 3X4.5=1 तथा 6, 6ए, 6बी का संयुक्त मुआवजा 281045/- है।
209.	26.07.21	2		3 E	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री दुर्गालाल शर्मा 9462661122	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी को राज.राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पुर्नवास करने हेतु उचित मुआवा दिलवाया जावे।	नहीं	आपत्ति संख्या 207 के अनुसार है। सर्वे सूची में क्रम संख्या 20 पर सर्वे संख्या 05 पर मौजुद मालिकों के नाम में कमला देवी का नाम रखना है। क्षेत्रफल 9.6 मुआवजा 3X3=1 मुआवजा 83845/- तथा सर्वे संख्या 6 पर राजेन्द्र प्रसाद क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर 3X3=1 तथा 6ए एवं 6बी पर 3X4.5=1 तथा 6, 6ए, 6बी का संयुक्त मुआवजा 281045/- है।
210.		1	31	41	श्री मुकेश कुमार 7891608712	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि सर्वे सूची में मेरा नाम सहवन से सत्यनारायण अंकित है गया है जबकि मेरा नाम मुकेश कुमार है। अतः सर्वे सूची में नाम सही करने का श्रम करे।	लम्बित	किरायानामा सन् 2009 का है। पुत्र किरायेदार है। अतः सक्षम स्तर पर निर्णय लिया जाना है।
211.		2	22	71	श्री सोहेल कुरेशी 9928338763	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकार्ड पर लेकर अग्रिम कार्यवाही करने का श्रम करे।	हाँ	जांच की गई सोहेल कुरेशी पुत्र स्व. श्री अनिश कुरेशी द्वारा प्रस्तुत वारिसनामा सोहेल कुरेशी (पुत्र) अलबीना बोना (पुत्री) परवीन बानो (सोहेल की स्वगीर्यमों) अजीजन (पति स्व. श्री मिठलु कुरेशी) अंकित किया जाना है।
212.		5	102	81,82	श्री मनमोहन गोयल	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि हमारी जमीन के बदले दी जा रही दुकान अपर्याप्त है। अतः आप इस विषय में गौर करे और 3 x 6 की दो दुकाने आवंटित करने का श्रम करे।	लम्बित	प्रार्थी का कुल प्रभावित 70.43 वर्गमीटर है। जिसके अनुसार 3 x 3=1 एवं 3 x 6=1 दुकान संशोधित कर अंकित की जानी है।
213.			110	81	श्रीमती मीना गोयल पत्नी श्री मनमोहन गोयल 9468717288	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मेरा घर व दुकान मेरी आमदनी का एकमात्र स्रोत है अतः सरकार द्वारा ली गई दुकान 47.13 वर्गमी. की एकदम मैंन मार्केट में लेकर 9 वर्गमी. जगह दे रहे हैं जो सामान रखने के लिये भी पर्याप्त नहीं है। अतः मुझे बड़ी दुकान आवंटित की जावे।	लम्बित	बाट-माप उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन 1998 वाणिज्यिक संस्थान रजिस्ट्रेशन 2003 पति किरायेदार है। अतः निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाना है।
214.		5			श्री बंदू अग्रवाल पुत्र श्री कान्ता प्रसाद अग्रवाल	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मेरा छः महीने पुरानी लिस्ट में नाम था लेकिन वर्तमान लिस्ट में नहीं है अतः मेरा नाम लिस्ट में लाने का श्रम करे।	लम्बित	मालिक संजय शर्मा, फूट सेफ्टी रजिस्ट्रेशन 2014 का है। मौके पर है लेकिन नई पत्रावली अतः निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाना है।
215.	23.07.21	5			श्री संजय कुमार शर्मा पुत्र श्री गोविन्द सहाय शर्मा	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि आरओबी से प्रभावितों की सूची में मेरा नाम नहीं आया है जबकि मेरे द्वारा अपनी दुकान	लम्बित	विक्रय पत्र संजय शर्मा के नाम पर सन् 2007 का है। स्वामित्व स्पष्ट है। अतः निर्णय उच्च स्तर पर

38

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

38

38



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

					9461616683		की रजिस्ट्री की प्रति जोन में जमा करवा दी थी अतः नियमानुसार कार्यवाही करने का श्रक।		लिया जाना है।
216.	23.07.21	5			श्री नवलकिशोर शर्मा सजय कुमार शर्मा 9461616683	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि मैंने अपनी जमीन के कागज पहले भी जमा करवा दिये थे लेकिन मेरा नाम नहीं आया है। अतः मेरे कागज दुबारा लेकर कार्यवाही करने का कष्ट करे।	लम्बित	प्रकरण आपत्ति 2015 के अनुसार है। बिजली का बिल गोविन्द के नाम सन् 2017 का व पानी का बिल सन् 2015 का है नोटिस जारी किया जाना है।
217.				08	श्री प्रकाश चन्द शर्मा पुत्र स्व. श्री शंकर लाल शर्मा		आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी का हक का हिस्सा प्रार्थी को मिलना चाहिए। प्रार्थी को नियमानुसार मुआवजा दिलवाने की कृपा करे।	लम्बित	मन्दिर का प्रकरण है लेकिन नई पत्रावली अतः निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाना है।
218.				07, 08, 09	श्री गिरिराज, सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रकाश चन्द शर्मा	मालिक	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी को बना हुआ डबल मंजिल के अनुरूप दस्तावेज के आधार पर दिलवाने का श्रम करे।	लम्बित	नई पत्रावली अतः निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाना है।
219.	23.07.21			225	श्री संदीप शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा 9667054179	किरायेदार	आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया है कि लाटरी की सूची में नाम दर्ज है लेकिन वर्ष 2017 से पूर्व का किरायानामा में ? लगाया गया है, जिसके सम्बन्ध में वर्ष 1989 के चालान की प्रति एवं वर्ष 1980 की किराये की रसीद, बिजली-पानी के बिल की प्रति संलग्न कर दी गई है।	लम्बित	2013 का बी.एस.एन.एल बिल, किराये की रसीद सन् 1980, 2004, 2018 मालिक के नाम, पुत्र किरायेदार है। लेकिन नई पत्रावली अतः निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाना है।
220.		04	70	03	श्री रमेश चन्द शर्मा	किरायेदार	01.01.2017 से पूर्व का किरायेदार के दस्तावेज संलग्न किये हैं।	हां लम्बित	किराये की रसीद 1992 की है। वाणिज्यिक रजिस्ट्रेशन वर्ष 2000 का है। लेकिन नई पत्रावली अतः निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाना है।
221.		04	22	42	श्री प्रकाश चन्द शर्मा पुत्र स्व. श्री नाथूलाल शर्मा	किरायेदार	किरायेदार होने के दस्तावेज संलग्न किये हैं।	नहीं	कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका मुआयना करने के पश्चात यह पाया गया कि प्रार्थी की दुकान आरओबी से प्रभावित नहीं है। सवे नम्बर 42 किरायेदार का मुआवजा क.स. 26 पर दिया जा चुका है।
222.		05	154	121, 122	श्री फूलचन्द शर्मा पुत्र श्री लल्लू लाल शर्मा	मालिक	अदापत दुकान के उपर आवास के मुआवजे बाबत।	नहीं	प्रथम तल के आवास का स्ट्रेक्चर मुआवजा अंकित किया जा चुका है।
223.		02	62	33	श्री रोहित खण्डेलवाल पुत्र श्री बाबूलाल भगवती एन्टरप्राइजेज	किरायेदार	01.01.2017 से पहले किरायानामा नहीं होने के कारण अपात्र घोषित किया गया	लम्बित	किरायानामा वर्ष 2021 का सपना गहलोट के नाम नहीं, किराये की रसीद 2013 की है। लेकिन नई पत्रावली अतः निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाना है।
224.		05	35	23 to 28A	श्री सीताराम शर्मा पुत्र स्व. श्री बद्रीनारायण शर्मा दक्षिणमुखी हनुमानजी मन्दिर		दक्षिणमुखी हनुमानजी मन्दिर का मुआवजा दिलवाने के लिये।	लम्बित (मन्दिर)	मन्दिर परिसर में स्थित पांच दुकानों का मुआवजा पूर्व में अंकित किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा मन्दिर तथा खाली जमीन के मुआवजे के लिये निवेदन किया गया है। नीतिगत निर्णय अपेक्षित है।
225.		05	33	21, 22	श्री शंकर लाल शर्मा	मालिक	आवासीय भूखण्ड के लिये निवेदन किया गया है।	नहीं	प्रार्थी का आवासीय भूखण्ड में निर्मित स्ट्रेक्चर का मुआवजा पूर्व में अंकित किया जा चुका है। वृत्ति बचा हुआ क्षेत्रफल 35 व.मी. से से अधिक है। अतः आवासीय भूखण्ड देय नहीं है।

3/

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}; फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

3/

3/



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

226.	01		58	श्री राकेश साहू पुत्र श्री रामनारायण साहू	किरायेदार	जेडीए की सूची में नाम जोड़ने के लिये आवेदन	नहीं	कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये गये।
227.	01	36	36	श्री कानाराम कुम्हार पुत्र श्री रामपाल	मालिक	प्रकरण में कोर्टकेस बताया गया है जो कि गलत है।	लम्बित	आवेदक द्वारा 50/- रु. का स्टाम्प प्रस्तुत किया है कि किसी प्रकार का विवाद नहीं है। आपत्ति क्रमांक 79 पर भी अंकित है। लेकिन नई पत्रावली अतः निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाना है।
228.	02	43	15	श्री कैलाश चन्द शर्मा		किरायेदार दातारसिंह से सर्वे नम्बर-12 की दुकान खाली करवा ली है एवं सर्वे नम्बर 15 की दुकान जो महालक्ष्मी किराना स्टोर सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री छिगनालाल के किरायेदार की दुकान है। सुरेन्द्र से दुकान खाली करवाने का दाव विचाराधीन है।	लम्बित	क्र.स. 28 पर किरायेदार सुरेन्द्र शर्मा का नाम अंकित है। लेकिन नई पत्रावली अतः निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाना है।
229.	02			श्री प्रहलाद राय शर्मा पुत्र श्री भवर लाल शर्मा		विनायक टी स्टोर का किरायानामा बाबत।	लम्बित	आवेदक ने झोटवाड़ा पुलिस के नीचे श्री नवलकिशोर शर्मा के महान के बाहर चाय की स्टाल है। सम्बन्धित शपथ पत्र दिया है। लेकिन नई पत्रावली अतः निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाना है।
230.				श्री कपिल कुमावत		कपिल कुमावत बनाम काशीलाल एवं अन्य अस्थायी निषेधाज्ञा पत्र संख्या 147/2020 प्रस्तुत किया है एवं सर्वेधारक मांगीलाल काशीलाल पुत्र महादेव, हनुमान सहाय सर्वे नम्बर 61ए, 61बी, 61सी के सम्बन्ध में मुआवजा कार्यवाही नहीं करने का प्रार्थना पत्र दिया है।	लम्बित	प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण लम्बित रखा गया है।
231.	05	222	166 to 168	सूरज देवी शर्मा पत्नी स्व. श्री जुगलकिशोर शर्मा		तीन दुकानों के बदले समान क्षेत्रफल की तीन दुकाने आवंटन करने बाबत तथा किरायेदार निजामुद्दीन शेख (सर्वे नम्बर 168 की दुकान) का नाम हटवाने बाबत।	नहीं	प्रार्थी को प्रभावित क्षेत्रफल के बदले 3 x 6=1 तथा एक आवासीय भूखण्ड नीतिगत निर्णय अनुसार दिया जाना है।
232.	05	60-61	48,49	प्रहलाद यादव पुत्र गोपी राम यादव	मालिक	दो अलग-2 दुकानों का कय 2006-07 में होना बताया गया है तथा सर्वे संख्या 48 एवं 49 के दस्तावेज भी अलग-2 प्रस्तुत किये गये हैं। परन्तु मुआवजा स्वरूप एक ही दुकान 3X6=1 दी जा रही है जिसकी पुनः जाँच की जानी है।	नहीं	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर पुनः क्षेत्रफल की जांच की गई। दी गई मुआवजा राशि सही है।
233.	05	245	197, 198, 199 back side	गोपाल लाल वेद पुत्र श्री छीतरमल वेद	मालिक	सर्वे संख्या 197,198,199 के पीछे ए-11 में निरस्त स्वामित्व शामिल है तथा द्वितीय एवं तृतीय तल पर चढ़ने हेतु सिडियों भी मेरे स्वामित्व में हैं अतः स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज देखने के बाद ही नियमानुसार मुआवजा दिया जावे।	लम्बित	आपत्ति क्रमांक 73 पर समान प्रकृति की आपत्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा चुका है।
234.	03	10	12	भैरू लाल कुमावत पुत्र श्री रामप्रकाश कुमावत	किरायेदार	मेरी पारिवारिक स्थितियाँ अनुकूल नहीं होने के कारण पूर्व में पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई है वर्तमान में प्रस्तुत कर रहा हूँ अतः किरायेदार के रूप नवीन सर्वे क्रमांक देते हुए मुआवजा दिलवाने का श्रम करावें।	लम्बित	नई पत्रावली अतः निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाना है।
235.	05	13	8	नवल किशोर पारीक पुत्र श्री सीताराम पारीक, ओमप्रकाश पुत्र स्व.श्री मोहनलाल पारीक, राकेश पारीक पुत्र स्व.श्री मोहन लाल पारीक	मालिक	सर्वे क्रमांक 6 व 8ए के पीछे मे मालिकाना हक एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर मुआवजा दिया जाना है।	लम्बित	प्रकरण मंदिर में मुआवजे से सम्बन्धित है अतः उच्च स्तर से निर्णय लिया जाना है।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- (+91-141-सम्बन्धित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बन्धित कार्यालय}; फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बन्धित अधिकारी का ईमेल}

[Handwritten signatures and initials]



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

236.		02	04	41-46	सत्यनारायण वैद, कैलाश चन्द वैद सुरेश कुमार वैद	मालिक	श्रीरामनारायण सत्यनारायण जी वैद पीएनबी बैंक के सामने के दस्तावेज हमारे नाम से प्रस्तुत किये हैं चुकि दोनों व्यक्तियों का स्वर्गवास हो चुका है अतः प्रत्येक का बराबर हिस्सा है अतः प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर बराबर मुआवजा देने हेतु आपति प्रस्तुत की गई है।	लम्बित	प्रकरण में दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दस्तावेजों के आधार पर संजरा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु नोटिस जारी किया जाना है।
237.		02	66	46	कैलाश चन्द वैद	किरायेदार	हमारे द्वारा वेट/जीएसटी आदि के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं जिसके आधार पर किरायेदार के रूप में मुआवजा प्रदान करने हेतु आपति प्रस्तुत की है।	लम्बित	प्रकरण में आपतिकर्ता द्वारा वेट जीएसटी, व्यापार मण्डल का प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं जिसके आधार पर संक्षम स्तर से निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।
238.		04	67	4	बनवारी लाल देवन्ता एवं सुरेश कुमार चौधरी	किरायेदार	पंचायत समिति के पास 2016 से दुकान किराये पर संचालित की जा रही है तथा एडवोकेट चैम्बर्स का कार्य किया जा रहा है। अतः मेरा नाम किरायेदार के रूप में सर्वे सूची में अंकित करने हेतु आपति प्रस्तुत की है।	लम्बित	नई पत्रावली अतः निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाना है।
239.		04	22	42	प्रकाश चन्द शर्मा	किरायेदार	मेरे द्वारा उक्त सर्वे नम्बर पर स्टाम्प विक्रेता का कार्य किया जा रहा है अतः मैं पुनः दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिसके आधार पर किरायेदार के रूप में मुआवजा दिये जाने हेतु आपति प्रस्तुत कर रहा हूँ।	निस्तारित	प्रकरण में पूर्व में आपति क्रमांक 221 पर दर्ज की जाकर निस्तारित की जा चुकी है।
240.					पंकज पारीक		पारीक डेन्टल हॉस्पिटल के रूप में 50 वर्षों से अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ। अतः मैं दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूँ किरायेदार के रूप में मुआवजा देने का श्रम करावे।	लम्बित	नई पत्रावली अतः निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाना है।

165, 166 की आपत्ति 165 पर दर्ज है।

Smh
De
De

De

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय} फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

De